



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062026-273951
CG-DL-E-30062026-273951

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 475]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2026/ आषाढ 8, 1948

No. 475]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2026/ ASHADHA 8, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2026

सा.का.नि. 527(अ).—केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020 का 36) की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कर्मचारी कुटुंब पेंशन स्कीम, 1971 और कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.— (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी पेंशन स्कीम, 2026 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
(3) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 20 के अधीन रहते हुए, यह स्कीम उन सभी स्थापनाओं के कर्मचारियों पर लागू होगी, जिन पर अध्याय 3 के उपबंध, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 1 की उपधारा (4) के अधीन लागू होते हैं या उपधारा (5) या उपधारा (6) या उपधारा (8) के अधीन लागू किए गए हैं।
- परिभाषाएं.— (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

- (क) "वास्तविक सेवा" से 16 नवंबर, 1995 से या किसी भी स्थापना में सम्मिलित होने की तारीख से, जो भी बाद में हो, से लेकर संहिता के अधीन आवृत्त स्थापना से रोजगार छोड़ने की तारीख तक, की कुल सेवा अवधि अभिप्रेत है;
- (ख) "संहिता" से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) अभिप्रेत है;
- (ग) "आयुक्त" से कोड की धारा 14 के अधीन नियुक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उप भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और सहायक भविष्य निधि आयुक्त अभिप्रेत है;
- (घ) "अंशदायी सेवा" से किसी सदस्य द्वारा दी गई ऐसी अवधि से अभिप्रेत है, जिसके लिए निधि में अंशदान प्राप्त कर लिया गया है या प्राप्त किया जाना है;
- (ङ) "पात्र कुटुंब" से -
- पुरुष सदस्य के मामले में पत्नी;
 - महिला सदस्य के मामले में पति; और
 - सदस्य के पुत्र और पुत्रियां अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण - "पुत्र" और "पुत्रियों" पद में सदस्य द्वारा विधिक रूप से दत्तक लिए गए बच्चे भी सम्मिलित होंगे;

- (च) "विद्यमान सदस्य" से, विद्यमान कर्मचारी जो "कर्मचारी कुटुंब पेंशन स्कीम, 1971 का सदस्य" था अभिप्रेत है;
- (छ) "अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार" से—
- भारतीय कर्मचारी से भिन्न कोई ऐसा कर्मचारी, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं है, जो भारत में किसी ऐसी स्थापना में कार्यरत है जिस पर यह संहिता लागू होती है;
 - कोई ऐसा भारतीय कर्मचारी जिसने किसी ऐसे विदेशी देश में कार्य किया है या करने जा रहा है जिसके साथ भारत ने सुरक्षा समझौता किया है और जो उक्त समझौते के अधीन मिली या मिलने वाली पात्रता के कारण उस देश के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लाभ पाने का पात्र है; परंतु 1950 की शांति और मैत्री संधि के कारण नेपाली नागरिक होने वाला कर्मकार और 2007 की भारत-भूटान मैत्री संधि के कारण भूटानी नागरिक होने वाला कर्मकार, भारतीय कर्मकार माना जाएगा अभिप्रेत है;
- (ज) सदस्य" से, वह कर्मचारी, जो पेंशन निधि का सदस्य बन जाता है अभिप्रेत है।
- स्पष्टीकरण -** कोई भी कर्मचारी अधिवर्षिता की तारीख से या स्कीम के अधीन अनुज्ञेय फायदे प्राप्त करने की तारीख से, जो भी पहले हो, पेंशन निधि का सदस्य नहीं रहेगा।
- (झ) "गैर-अंशदायी सेवा" से किसी सदस्य द्वारा दी गई वास्तविक सेवा की वह अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिए पेंशन निधि में कोई अंशदान प्राप्त नहीं किया गया है या प्राप्त नहीं किया जाना है;
- (ञ) "अनाथ" से ऐसा व्यक्ति, जिसके माता-पिता जीवित नहीं अभिप्रेत है;
- (ट) "पिछली सेवा" से किसी विद्यमान सदस्य द्वारा कर्मचारी कुटुंब पेंशन निधि में सम्मिलित होने की तारीख से लेकर 15 नवम्बर, 1995 तक की गई सेवा की अवधि अभिप्रेत है;
- (ठ) "पेंशन" से 'कर्मचारी पेंशन स्कीम, 2026 के अधीन देय पेंशन और इसमें वह पेंशन सम्मिलित है जो इस स्कीम के शुरू होने से ठीक पहले की कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 और कर्मचारी कुटुंब पेंशन स्कीम, 1971 के अधीन अनुज्ञेय तथा देय थी ;
- (ड) "स्कीम" से कर्मचारी पेंशन स्कीम, 2026 अभिप्रेत है;
- (ढ) "सारणी" से इस स्कीम के साथ संलग्न सारणी अभिप्रेत है;
- (ण) "मजदूरी की अधिकतम सीमा अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान कोई विशिष्ट मजदूरी की अधिकतम सीमा लागू थी।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस स्कीम में परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो संहिता और कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 में हैं।

3. पेंशन निधि लेखा.— कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अधीन पूर्ववर्ती कर्मचारी पेंशन निधि लेखा का रखरखाव इस स्कीम के अधीन पेंशन निधि लेखा के रूप में किया जाएगा।

4. पेंशन निधि.— (1) नियोजक द्वारा संहिता की धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन, या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त स्थापना की भविष्य निधि के नियमों के अधीन प्रत्येक मास देय अंशदान में से, कर्मचारी की वेतन का आठ दशमलव तैंतीस प्रतिशत हिस्सा, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित वेतन सीमा तक, नियोजक द्वारा प्रत्येक मास की समाप्ति के पंद्रह दिन के भीतर पेंशन निधि में जमा की जाएगी केंद्रीय बोर्ड और प्रेषण की लागत, यदि कोई हो, तो नियोजक द्वारा वहन की जाएगी।

(2) केंद्रीय सरकार, कर्मचारी पेंशन स्कीम के सदस्यों के वेतन की एक दशमलव सोलह प्रतिशत की दर से इस स्कीम में अंशदान करेगी, लेकिन यह अंशदान ऐसी राशि तक ही सीमित होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए:

परंतु जहां सदस्य की वेतन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित वेतन की अधिकतम सीमा से अधिक हो, तो नियोजक और केंद्रीय सरकार द्वारा देय अंशदान केवल उसकी वेतन की अधिकतम सीमा तक की वेतन पर देय रकम तक ही सीमित होगा।

परंतु यह और कि 1 सितंबर 2014 से, उन सदस्यों के मामले में जिन्होंने पूर्ववर्ती कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा 11 के उपबंधों के अधीन अंशदान करने के लिए संयुक्त विकल्प चुना है और जो पात्र पाए गए हैं, नियोजक का अंशदान प्रत्येक सदस्य की वेतन का नौ दशमलव उनचास प्रतिशत होगा जो विद्यमान आठ दशमलव तैंतीस प्रतिशत में एक दशमलव सोलह प्रतिशत की बढ़ोतरी करके तय किया जाएगा; और यह बड़ा हुआ अंशदान पंद्रह हजार रुपए प्रति मास से अधिक मजदूरी पर लागू होगा।

(3) उप पैरा (1) और उप पैरा(2) के अधीन देय प्रत्येक अंशदान की गणना निकटतम रूपए में की जाएगी, पचास पैसे या इससे अधिक को अगले उच्चतर रूपए के रूप में गिना जाएगा तथा पचास पैसे से कम रूपए के अंश को छोड़ दिया जा रहा है।

(4) पूर्ववर्ती कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 की कुल आस्तियां, पेंशन निधि में निहित होंगी और अंतरित मानी जाएंगी।

5. अंशदान का भुगतान.— (1) नियोजक, उस नियोजक द्वारा नियोजित प्रत्येक सदस्य चाहे वह सीधे तौर पर हो या किसी ठेकेदार के माध्यम से, के लिए पेंशन निधि में देय अंशदान का भुगतान करेगा।

(2) पेंशन निधि में देय अंशदान का भुगतान करना मुख्य नियोजक का उत्तरदायित्व होगा।

6. किसी भी अंशदान के भुगतान में चूक के लिए नुकसानी की वसूली.— जहां कोई नियोजक पेंशन निधि में अंशदान या संहिता या इस स्कीम के किसी उपबंध के अधीन देय किसी भी प्रकार के भुगतान में चूक करता है, तो केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या प्राधिकृत ऐसा कोई अन्य अधिकारी, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 में विनिर्दिष्ट दर से नियोजक पर नुकसानी लगा सकता है और शास्ति के रूप में वसूली कर सकेगा।

7. कर्मचारी पेंशन स्कीम की सदस्यता.— (1) यह स्कीम प्रत्येक उस कर्मचारी पर लागू होगी –

(i) जो इस स्कीम की अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त स्थापना की भविष्य निधि का सदस्य बनता है, और जिसकी मजदूरी ऐसी तारीख को केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी की अधिकतम, जो उस तारीख को लागू है, से कम या उसके बराबर है;

(ii) जो पूर्ववर्ती कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का सदस्य रहा हो अथवा जो इस स्कीम के प्रारम्भ होने की तारीख से पूर्व, पूर्ववर्ती कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 अथवा कर्मचारी कुटुंब पेंशन स्कीम, 1971 का सदस्य बनने का पात्र था।

स्पष्टीकरण- कोई भी कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख से, या स्कीम के अधीन अनुज्ञेय फ़ायदों के निहित होने की तारीख से, जो भी पहले हो, से पेंशन निधि का सदस्य नहीं रहेगा।

- (2) पेंशन निधि का कोई सदस्य निम्नलिखित घटनाओं में से जो भी पहले हो, तक सदस्य बना रहेगा -
- (क) अधिवर्षिता की आयु की प्राप्ति;
- (ख) पैरा 13 के अधीन प्रत्याहरण फ़ायदा प्राप्त करना;
- (ग) सदस्य की मृत्यु;
- (घ) पैरा 12 के अधीन सदस्य में पेंशन का निहित होना।

8. शंकाओं का समाधान.— यदि कोई शंका उत्पन्न होती है कि क्या कोई कर्मचारी पेंशन निधि का सदस्य बनने का पात्र है या नहीं, तो उसे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजा जाएगा, जो इसे विनिश्चित करेगा:

परंतु इस मामले में अंतिम आदेश पारित करने से पहले नियोजक और कर्मचारी दोनों को सुना जाएगा।

9. पात्र सेवा का अवधारण.— (1) विद्यमान सदस्य से भिन्न किसी अन्य सदस्य के मामले में, "अंशदायी सेवा" को पात्र सेवा माना जाएगा। कुल अंशदायी सेवा को निकटतम पूर्ण वर्ष में गिना जाएगा। छह मास या उससे अधिक की सेवा के भाग को एक वर्ष माना जाएगा और छह मास से कम की सेवा को अनदेखा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- किसी स्थापना में मौसमीय आधार पर नियोजित कर्मचारियों के मामले में किसी भी वर्ष में "अंशदायी सेवा" की अवधि को पूरा एक वर्ष माना जाएगा, ऐसी सेवा के होते हुए भी एक वर्ष से कम है।

(2) विद्यमान सदस्य के मामले में अंशदायी सेवा और पिछली सेवा के कुल जोड़ को पात्र सेवा माना जाएगा:

परंतु जहां पिछली सेवा की ऐसी कोई अवधि हो, जिसके लिए कुटुंब पेंशन स्कीम, 1971 के लिए अभिदाय प्राप्त नहीं हुआ हो, तो उस अवधि तक ही पात्र सेवा के रूप में गिनी जाएगी, जिस अवधि के लिए पेंशन निधि में उसका अभिदाय प्राप्त हो गया हो।

स्पष्टीकरण - इस उप पैरा के प्रयोजन के लिए, अंशदायी सेवा और पिछली सेवा का कुल समय अगर छह मास से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा और छह मास या उससे अधिक की सेवा को एक वर्ष माना जाएगा।

10. पेंशनयोग्य सेवा का अवधारण.— (1) किसी सदस्य की पेंशनयोग्य सेवा का अवधारण पेंशन निधि में प्राप्त या प्राप्त किए जाने वाले अंशदानों के आधार पर किया जाएगा।

(2) जहां सदस्य अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता है, और जिसने बीस वर्ष या उससे अधिक की पेंशनयोग्य सेवा की है, तो उसकी पेंशनयोग्य सेवा दो वर्ष का लाभांश जोड़कर बढ़ा दी जाएगी।

11. पेंशनयोग्य मजदूरी का अवधारण.— (1) पेंशन योग्य मजदूरी, पेंशन निधि की सदस्यता छोड़ने की तारीख से ठीक पहले के साठ मास की सेवा अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक मजदूरी, चाहे समय दर आधार पर हो या प्रति वस्तु दर पर मिलने वाली मजदूरी सहित, के आधार पर अवधारित की जाएगी। यह मजदूरी प्रत्येक मजदूरी अधिकतम सीमा अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर अवधारित होगी।

परंतु ये उस अवधि के लिए लागू अधिकतम मजदूरी अधिकतम सीमा के अधीन होगा:

परंतु यह और कि सदस्य ने पेंशन निधि की सदस्यता की समाप्ति के दिन से पिछले साठ मास की अवधि के दौरान पूर्ण मजदूरी प्राप्त नहीं की है, तो पेंशन की गणना के लिए पेंशन योग्य मजदूरी के तौर पर उन पिछले साठ मास में मिले पूरी मजदूरी का औसत माना जाएगा, जिनके लिए पेंशन निधि में अभिदाय लिया गया था।

(2) औसत मासिक मजदूरी की गणना के लिए उक्त साठ मास की अवधि के दौरान जहां बिना अभिदाय के सेवा की अवधि हो ऐसे मामलों सहित जिनमें सदस्य ने ही मजदूरी ली हो, तो साठ मास की अवधि के कुल मजदूरी को उन वास्तविक दिनों की संख्या से विभाजित किया जाएगा, जिनके लिए मजदूरी लिया गया हो और इस प्रकार प्राप्त रकम को 30 से गुणा किया जाएगा।

(3) अधिकतम पेंशनयोग्य मजदूरी प्रति मास अधिसूचित मजदूरी अधिकतम सीमा तक सीमित रहेगी।

12. मासिक पेंशन.— (1) कोई सदस्य -

(i) यदि वह दस वर्ष या उससे अधिक की पात्र सेवा कर चुका हो और अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता है, तो अधिवर्षिता पेंशन का;

(ii) यदि वह 10 वर्ष या उससे अधिक की पात्र सेवा कर चुका हो और अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त होता है या अन्य कारण से नियोजन छोड़ देता है, तो समय पूर्व पेंशन का, पात्र होगा।

(2) विद्यमान सदस्य से भिन्न अन्य सदस्य के मामले में, यथास्थिति, मासिक अधिवर्षिता पेंशन या समय-पूर्व पेंशन, की रकम की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी :-

मासिक सदस्य पेंशन = (पेंशनयोग्य मजदूरी X पेंशनयोग्य सेवा) / 70

परंतु सदस्य की मासिक पेंशन का अवधारण प्रत्येक ऐसे मजदूरी अधिकतम सीमा अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर अवधारित की जाएगी।

परंतु यह और भी कि पेंशनयोग्य मजदूरी ऐसी प्रत्येक अवधि के लिए लागू अधिकतम मजदूरी अधिकतम सीमा के अधीन होगी।

(3) किसी विद्यमान सदस्य, जिसकी पेंशन प्रारंभ होने की तारीख 16 नवंबर, 2005 के पश्चात् है, के मामले में अधिवर्षिता या समयपूर्व पेंशन निम्न के कुल जोड़ बराबर होगी -

(क) 16 नवंबर, 1995 से की गई पेंशनयोग्य सेवा की अवधि के लिए उप पैरा (2) के अधीन यथा अवधारित पेंशन या छह सौ पैंतीस रु. प्रति मास, जो भी अधिक हो ;

(ख) तारीख 16 नवंबर, 1995 को संहिता की धारा 2 की उप धारा (82) में यथा विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता की समाप्ति पर देय पिछली सेवा पेंशन नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगी,-

सारणी

क्रम संख्या	पिछली सेवा के वर्ष	मजदूरी रु. 2500/- प्रति मास तक	मजदूरी रु. 2500/- प्रति मास से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)	11 वर्ष तक	80	85
(ii)	11 वर्ष से अधिक किंतु 15 वर्ष तक	95	105
(iii)	15 वर्ष से अधिक किंतु 20 वर्ष से कम	120	135
(iv)	20 वर्ष से अधिक	150	170

टिप्पण :

- (i) देय पिछली सेवा पेंशन आंकने के लिए यथास्थिति, उपर्युक्त स्तंभ (3) या स्तंभ (4) के अधीन, देय फायदा को 16.11.1995 तथा नियोजन छोड़ने की तारीख के बीच की अवधि के लिए सारणी 2 में दिए गए गुणांक से गुणा किया जाएगा।
- (ii) इस उप पैरा के अधीन की गई गणना के अनुसार खंड (क) और खंड (ख) का कुल योग न्यूनतम आठ सौ रुपये प्रति मास के अधीन होगा।

परंतु पात्रता सेवा चौबीस वर्ष है :

परंतु यह और कि अवधि चौबीस वर्ष से कम है, तो उपर्युक्त नियमानुसार तय की गई पेंशन को उसी अनुपात में कम कर दिया जाएगा, किंतु यह पेंशन प्रत्येक मास कम से कम चार सौ पचास रुपये अवश्य होगी।

(4) किसी विद्यमान सदस्य के मामले में और जिसकी पेंशन प्रारंभ होने की तारीख 16 नवंबर, 2000 और 16 नवंबर, 2005 के बीच की है, -

(क) अधिवर्षिता या समयपूर्व पेंशन निम्नलिखित के योग के बराबर होगी,-

(i) 16 नवंबर, 1995 से की गई सेवा की अवधि के लिए उपपैरा (2) के अधीन यथावधारित पेंशन या चार सौ अड़तीस रुपए प्रति मास, जो भी अधिक हो;

(ii) उप-पैरा (3) में यथाउपबंधित पिछली सेवा पेंशन-

(ख) उप पैरा (3) के अधीन परिकलित खंड (क) और (ख) का कुल योग न्यूनतम छह सौ रुपए प्रतिमास के अधीन होगा:

परंतु पात्र सेवा चौबीस वर्ष हो:

परंतु यह और कि यदि यह चौबीस वर्ष से कम है, तो पेंशन आनुपातिक रूप से कम होगी, जो तीन सौ पच्चीस रूपए की न्यूनतम रकम के अधीन प्रतिमास होगी।

(5) किसी विद्यमान सदस्य के मामले में और, जिसकी पेंशन प्रारंभ होने की तारीख 16 नवंबर, 2000 से पूर्व की है,-

(क) अधिवर्षिता या समयपूर्व पेंशन की रकम निम्नलिखित के योग के बराबर होगी

(i) 16 नवंबर, 1995 से की गई सेवा की अवधि के लिए उप पैरा (2) के अधीन यथाअवधारित पेंशन या तीन सौ पैंतीस रूपए प्रतिमास, जो भी अधिक हो;

(ii) उप पैरा (3) में यथाउपबंधित अनुसार पिछली सेवा पेंशन

(ख) ऊपर की गई गणना के अनुसार उप खंड (i) और उपखंड (ii) का कुल योग पांच सौ रूपए प्रतिमास की न्यूनतम रकम के अधीन होगा:

परंतु सदस्य की पात्र सेवा चौबीस वर्ष की है:

परंतु यह और कि यदि यह चौबीस वर्ष से कम है, तो पेंशन आनुपातिक रूप से कम होगी किंतु दो सौ पैंसठ रूपए प्रतिमास की न्यूनतम रकम के अधीन होगी।

(6) किंतु इसमें इसके पश्चात् अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उप पैरा (2) से उप पैरा (5) के अधीन मासिक पेंशन, अधिवर्षिता आयु पूरी होने की तारीख के ठीक पश्चात् की तारीख से देय होगी, बावजूद इस तथ्य के कि सदस्य उस तारीख से पहले ही सेवानिवृत्त हो गया हो या नियोजन छोड़ दिया हो।

(7) किसी सदस्य को अधिवर्षिता की आयु से पहले की तारीख से, समयपूर्व पेंशन लेने की अनुज्ञा दी जा सकेगी, परंतु यह पचास वर्ष की आयु से पहले नहीं होगी और अधिवर्षिता की आयु से जितने वर्ष कम होंगे, उस प्रत्येक वर्ष के लिए चार प्रतिशत, की दर से कटौती की जाएगी।

(8) किसी भी विद्यमान या भविष्य के सदस्य को इस पैरा के अधीन देय किसी भी राहत सहित सदस्य की मासिक पेंशन एक हजार रूपए से कम नहीं होगी।

परंतु, 1 सितंबर, 2014 से, इस उप पैरा के अधीन देय एक हजार रूपए की न्यूनतम पेंशन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी-

(i) तत्कालीन कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के उपबंधों के अधीन 26 सितंबर, 2008 से पूर्व के सदस्यों द्वारा लिए गए लघुकरण और पूंजी के प्रतिलाभ के फायदों के कारण कटौती; और

(ii) उप-पैरा (7) के अधीन समय-पूर्व पेंशन के कारण कटौती।

(9) (क) कोई सदस्य, जिसने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर ली है और जो अन्यथा उप पैरा (1) के खंड (क) के अधीन पेंशन के लिए पात्र है, उसे अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् पेंशन प्राप्त करने की आयु को विलंबित करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी, परंतु साठ वर्ष की आयु से अधिक तक नहीं।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट मामलों में- (i) अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् पेंशन की रकम में प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए चार प्रतिशत की दर से बढ़ोत्तरी की जाएगी, जो पैरा 4 के उप पैरा (2) के उपबंध के अधीन दी गई अधिकतम मजदूरी सीमा तक प्रतिबंधित होगी;

(ii) यदि कोई सदस्य अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् भी नियोजन में बना रहता है; तो सदस्य को, उसके विकल्प पर, उस अवधि के लिए, जिसके लिए पेंशन की निकासी को आस्थगित किया गया है, पेंशन निधि में पैरा 4 के अधीन

अभिदाय जारी रखने हेतु अनुज्ञा दी जा सकती है, और उप पैरा (2) के अधीन पेंशन के अवधारण के प्रयोजन के लिए पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य मजदूरी में ऐसे अभिदाय सम्मिलित होंगे, किंतु यह साठ वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगा;

(iii) जहां किसी सदस्य ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् और स्थगित पेंशन के प्रारंभ होने से पहले पेंशन शोध के आहरण को आस्थगित करने का विकल्प चुना है, पात्र कुटुंब पैरा 15 के उप पैरा (1) के खंड (ग) के अधीन सदस्य की मृत्यु की तारीख से पेंशन का हकदार होगा, मानो सदस्य की मासिक पेंशन मृत्यु की तारीख से प्रारंभ हो गई हो।

(10) जहां कोई सदस्य अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्ति या अन्यथा नियोजन से अलग हो जाता है,-

(i) सदस्य को विकल्प के अनुसार या तो

(क) पचास वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् इस स्कीम के अधीन यथा अनुज्ञेय पेंशन दी जाए; या

(ख) आयुक्त द्वारा स्कीम प्रमाण पत्र जारी किया जाए, जिसमें नियोजन से अलग होने के समय की, की गई पेंशनयोग्य सेवा, पेंशनयोग्य मजदूरी और पेंशन की देय रकम का उल्लेख हो।

(11) जहां ऐसे सदस्य पश्चात्वर्ती रूप में इस स्कीम के अधीन आवृत्ति योग्य किसी स्थापना में नियोजित हो जाता है, तो स्कीम प्रमाणपत्र में अभिलिखित पहले की सेवा को पेंशनयोग्य सेवाओं के नए भाग के साथ पेंशन के लिए गिना जाएगा।

(12) इस पैरा के अधीन पेंशन के प्रारंभ किए जाने को स्थगित करने वाला सदस्य इस स्कीम के अधीन स्वीकृत अतिरिक्त राहत का पात्र होगा।

परंतु-

(क) जहां कोई सदस्य इस स्कीम के अधीन आवृत्ति नियोजन प्राप्त नहीं करता है और नियोजन छोड़ने की तारीख को उसकी पात्र सेवा दस वर्ष से कम रही हो, किंतु अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पहले तथा जिसके दौरान निरंतर छत्तीस मास की अवधि बीतने से पहले पेंशन निधि में सदस्य के संबंध में कोई अभिदाय प्राप्त नहीं हुआ है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस मामले में प्राप्त अभिदाय की रकम को मासिक विधवा पेंशन या बाल पेंशन में परिवर्तित कर दिया जाएगा और ऐसे मामलों में विधवा पेंशन की गणना सारणी-3 में अधिकथित सूत्र के अनुसार की जाएगी और उसके पच्चीस प्रतिशत की दर से प्रत्येक बच्चे के लिए बाल पेंशन की गणना की जाएगी।

(ख) जहां कोई विधवा नहीं हो, वहां पैरा-15 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विधवा पेंशन के रूप में दी जा सकने वाली रकम के पचहत्तर प्रतिशत की दर से अनाथ पेंशन देय होगी;

(ग) यदि सदस्य इस स्कीम के अधीन कवर कोई नियोजन नहीं करता है और नियोजन छोड़ने की तारीख तक उसने दस वर्ष से कम की पात्र सेवा की है, किंतु अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है और इस दौरान निरंतर छत्तीस मास की अवधि तक पेंशन निधि में कोई अभिदाय प्राप्त नहीं हुआ है तो पैरा 13 के अधीन पात्र कुटुंब फायदों का पात्र होगा।

13. पेंशन के लिए पात्र होने से पूर्व नौकरी छोड़ने पर फायदा.— (1) जहां यदि किसी सदस्य ने नियोजन छोड़ने की तारीख को या अधिवर्षिता आयु प्राप्त होने पर, जो भी पहले हो, पैरा 12(1) में विनिर्दिष्ट पात्र सेवा पूरी नहीं की है, तो ऐसे सदस्य सारणी '4' के अनुसार प्रत्याहरण फायदा पाने का हकदार होगा या योजना प्रमाण-पत्र लेने का विकल्प चुन सकता है, परंतु सदस्य ने अधिवर्षिता आयु प्राप्त न की हो।

परंतु, ऐसे प्रत्याहरण फायदे की गणना के प्रयोजन के लिए, नियोजन छोड़ने पर वेतन प्रत्येक वेतन की अधिकतम सीमा अवधि के अंत में प्राप्त वेतन का भारित औसत होगी;

परंतु यह और कि, मौजूदा सदस्य को कर्मचारी कुटुंब पेंशन योजना, 1971 के अधीन उसकी पूर्व सेवा के लिए अंशदान पर अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा, जिसकी गणना सारणी '1' के अनुसार प्रत्याहरण-सह-सेवानिवृत्ति फायदे को सारणी '2' में दिए गए गुणांक से गुणा करके की जाएगी।

परंतु यह भी कि, अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने से पूर्व नियोजन छोड़ने की स्थिति में, सदस्य अंतिम अंशदान देय होने की तारीख से छत्तीस मास की अवधि बीत जाने अथवा अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के पश्चात् ही, जो भी पहले हो, से प्रत्याहरण फायदा प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

14. स्थाई और पूर्ण निःशक्तता पर फायदा.— (1) सदस्य जो सेवा के दौरान स्थाई और पूर्ण रूप से निःशक्त हो जाता है, पैरा 12 के अधीन न्यूनतम ₹250 प्रति मास पेंशन का पात्र होगा इस तथ्य के होते हुए भी कि पैरा 12 के अधीन पेंशन का पात्र बनने हेतु उसने पेंशन योग्य सेवा पूरी न की हो।

परंतु सदस्य द्वारा पेंशन निधि में कम से कम एक मास का अंशदान किया गया हो।

- (2) उप पैरा (1) के अधीन मासिक सदस्य पेंशन स्थाई और पूर्ण निःशक्तता की तारीख की अगली तारीख से देय होगी तथा वह सदस्य के जीवनपर्यन्त जारी रहेगी।
- (3) इस पैरा के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले सदस्य को केंद्रीय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट चिकित्सा परीक्षण करवाना होगा, जिससे यह अवधारित किया जा सके कि वह ऐसी निःशक्तता के समय जो कार्य कर रहा था, उसके लिए स्थाई और पूर्ण रूप से अयोग्य है या नहीं।

15. सदस्य की मृत्यु पर फायदा.— (1) पात्र कुटुंब को पेंशन सदस्य की मृत्यु की तारीख से अगली तारीख से देय होगी, यदि सदस्य की मृत्यु—

(क) सेवा में रहते हुए;

परंतु पेंशन निधि में कम से कम एक मास का अंशदान जमा किया गया हो; या

(ख) नौकरी छोड़ने की तारीख के उपरांत किंतु अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने से पूर्व, और ऐसी सेवा प्रदान की हो जिससे सदस्य मासिक पेंशन का पात्र हो जाता, परंतु पेंशन का भुगतान प्रारंभ होने से पूर्व; या

(ग) मासिक पेंशन का भुगतान प्रारंभ होने के पश्चात्।

स्पष्टीकरण: इस उप पैरा के प्रयोजन के लिए, जहाँ किसी सदस्य ने नौकरी छोड़ने की तारीख को 10 वर्ष से कम की पात्र सेवा की हो, किंतु पेंशन निधि की सदस्यता बनाए रखी हो और अर्धवर्षिता आयु प्राप्त करने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसे मामलों का विनियमन पैरा 12 के उप पैरा (12) के खंड (क) के अधीन जाएगा। :

(2) (क) मासिक विधवा पेंशन निम्नानुसार होगी:—

- (i) उप पैरा (1) के खंड (क) में आने वाले मामलों में, मासिक सदस्य पेंशन के बराबर, जो कि सदस्य को मृत्यु की तारीख पर सेवानिवृत्त मानकर देय होती अथवा चार सौ पचास रुपए प्रतिमास अथवा सारणी '3' में दर्शाई गई राशि, जो भी अधिक हो।
- (ii) उप पैरा (1) के खंड (ख) में आने वाले मामलों में, मासिक सदस्य पेंशन के बराबर, जो सदस्य को सेवा से निकासी होने की तारीख पर सेवानिवृत्त मानकर देय होती या चार सौ पचास रुपए प्रति मास अथवा सारणी '3' में दर्शाई गई राशि, जो भी अधिक हो होगी
- (iii) उप पैरा (1) के खंड (ग) में आने वाले मामलों में, सदस्य की मृत्यु की तारीख पर देय मासिक सदस्य पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर, परंतु न्यूनतम चार सौ पचास रुपए प्रति मास।
- (iv) ऐसे मामलों में, जहां कुटुंब पेंशन योजना, 1971 के तहत स्वीकृत कुटुंब पेंशन की राशि, जो इस योजना के अधीन देय है, चार सौ पचास रुपए प्रति मास से कम है, ऐसी पेंशन की राशि बढ़ाकर चार सौ पचास रुपए प्रति मास कर दी जाएगी।
- (v) ऐसे मामलों में, जहां मासिक विधवा पेंशन राहत सहित, यदि कोई हो, एक हजार रुपए प्रति मास से कम है, ऐसी पेंशन की राशि बढ़ाकर एक हजार रुपए प्रति मास कर दी जाएगी।
- (ख) मासिक विधवा पेंशन विधवा की मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक, जो भी पहले हो, देय होगी।

स्पष्टीकरण:- इस उप पैरा के प्रयोजन के लिए, जाहं दो या अधिक विधवाएं हों, वहां पेंशन ज्येष्ठतम उत्तरजीवित विधवा को और उसकी मृत्यु के पश्चात्, अगली उत्तरजीवित विधवा यदि कोई हो, तो उसे पेंशन देय होगी। यहाँ "ज्येष्ठतम" से विवाह की तारीख के आधार पर ज्येष्ठता अभिप्रेत है।

(3) मासिक बाल पेंशन:—

- (क) मृतक सदस्य के कोई जीवित बच्चे हों, जो पात्र कुटुंब की परिभाषा के अधीन आते हों, तो विधवा/विधुर पेंशन के अतिरिक्त मासिक बाल पेंशन के पात्र होंगे।
- (ख) प्रत्येक बच्चे के लिए मासिक बाल पेंशन, उप पैरा (2) के खंड (क) के अधीन विधवा को देय राशि के 25 प्रतिशत के बराबर होगी:

परंतु न्यूनतम मासिक बाल पेंशन राहत सहित, यदि कोई हो, प्रति बालक दो सौ पचास रुपए से कम नहीं होगी।

- (i) बालक की आयु 25 वर्ष होने तक देय होगी।
- (ii) एक समय में अधिकतम दो बालकों को देय होगी और सबसे बड़े से सबसे छोटे बालक के क्रम में देय होगी।

(iii) जहां किसी मृतक सदस्य का ऐसा पुत्र या पुत्री है जो स्थाई और पूर्ण रूप से दिव्यांग हो, तो ऐसे, यथास्थिति, बालक आयु और कुटुंब में बालकों की संख्या पर ध्यान दिए बिना, खंड (ii) में दी गई पेंशन के अतिरिक्त, मासिक बाल पेंशन या अनाथ पेंशन, का हकदार होगा।

(4) (क) जहां मृतक सदस्य की कोई विधवा उत्तरजीवित न हो, परंतु हकदार कुटुंब की परिभाषा में आने वाले बालक उत्तरजीवित हैं, और जहां विधवा पेंशन देय नहीं है, तो बालक उप पैरा (2) के खंड (क) के अधीन देय मासिक विधवा पेंशन की रकम के पचहत्तर प्रतिशत के बराबर मासिक अनाथ पेंशन के हकदार होंगे:

परंतु न्यूनतम मासिक अनाथ पेंशन राहत सहित, यदि कोई हो, तो प्रति अनाथ सात सौ पचास रुपए से कम नहीं होगी।

(ख) अनाथ पेंशन प्रत्येक अनाथ को तब तक संदेय होगी जब तक फायदाग्राही पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता:

परंतु यदि फायदाग्राही मानसिक विकार या शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त हो, तो पेंशन पच्चीस वर्ष की आयु के पश्चात भी जारी रहेगी।

(ग) विधवा या विधुर पेंशन स्वीकृत होने के पश्चात उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह की दशा में, बालक बाल पेंशन के स्थान पर, ऐसी मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख के अगले दिन से अनाथ पेंशन के हकदार होंगे।

(घ) अनाथ पेंशन एक समय में अधिकतम दो अनाथों को संदेय होगी, ज्येष्ठतम से कनिष्ठतम के क्रम में।

(5)(क) सदस्य जो अविवाहित हो या जिसके कोई पति/पत्नी या हकदार बच्चा न हो, फायदे प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकता है:

परंतु तत्पश्चात हकदार कुटुंब बना लेने पर ऐसा नामनिर्देशन शून्य हो जाएगा।

परंतु सदस्य की मृत्यु पर ऐसा नामनिर्देशिनी उप-पैरा (2) के खंड (क) के उप-खंड (i) और (ii) के अधीन ग्राह्य विधवा पेंशन के बराबर मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा।

(ख) जहां किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात कोई पति/पत्नी या हकदार बालक नहीं है और कोई नामनिर्देशन भी नहीं किया है, तो उप-पैरा (2) के खंड (क) के उप-खंड (i) और (ii) के अधीन विधवा पेंशन यथास्थिति आश्रित पिता या आश्रित माता, को संदेय होगी और आश्रित पिता को पेंशन अनुदत्त होने पर और उनकी मृत्यु होने पर, पेंशन आजीवन जीवित माता को संदेय होगी।

(ग) जहां मृतक सदस्य ने नियोजन छोड़ने की तारीख पर ऐसी पेंशन योग्य सेवा पूरी नहीं की थी, जोकि उसे पैरा 12 के अधीन मासिक पेंशन का हकदार बनाती, लेकिन उसने पैरा 12 के उप-पैरा (8) के अधीन सदस्यता बनाए रखने का विकल्प चुना था, तो यथास्थिति नामनिर्देशिनी या आश्रित पिता या आश्रित माता, पैरा 12 के अधीन प्रत्याहरण फायदाप्राप्त करने के हकदार होंगे।

16. पेंशन फायदों की गारंटी.—इस स्कीम के अधीन किसी भी सदस्य या फायदाग्राही को, पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अधीन नियोजक द्वारा अपेक्षाओं की अनुपालन न किए जाने के कारण, पेंशन फायदे से वंचित नहीं किया जाएगा:

परंतु इस पैरा में अंतर्विष्ट कोई भी बात, नियोजक को इस स्कीम के अधीन अधिरोपित दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा।

17. पेंशन का संदाय.— (1) दावे, जो हर प्रकार से पूर्ण हो और आवश्यक दस्तावेजों, के साथ प्रस्तुत किए गए थे, आयुक्त द्वारा प्राप्त करने की तारीख से बीस दिन के भीतर निपटारा किया जाएगा और फायदाग्राहियोंको फायदा की रकम का संदाय कर दिया जाएगा।

(2) जहां दावे में कोई कमी हो, तो उसे लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा तथा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से बीस दिन के भीतर आवेदक को सूचित किया जाएगा।

(3) जहां, आयुक्त, बिना पर्याप्त कारण के, पूर्ण रूप से प्रस्तुत किए गए दावे का निपटान बीस दिन के भीतर करने में विफल रहता है, तो उक्त अवधि से अधिक विलंब के लिए आयुक्त उत्तरदायी होगा तथा फायदे की रकम पर बारह प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाएगा जिसे आयुक्त के वेतन से काटा जाएगा।

18. नियोजक के कर्तव्य.— (1) प्रत्येक नियोजक, इस स्कीम के स्थापन पर लागू होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 में बताए गए अनुसार आयुक्त को एक समेकित विवरण प्रेषित करेगा, जिसमें पेंशन निधि के सदस्य बनने के लिए आवश्यक या हकदार कर्मचारी के विवरण सहित ऐसे कर्मचारी को दिया जाने वाला मजदूरी भी शामिल होगा।

परंतु जहां किसी कर्मचारी को पेंशन निधि का सदस्य बनने की आवश्यकता या हकदारता हो नियोजक 'शून्य' विवरणी दाखिल करेगा।

(2) प्रत्येक नियोजक स्थापन के निरीक्षण के दौरान संहिता की धारा 122 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त निरीक्षक-सह-सुविधकर्ता द्वारा सत्यापन के लिए, कर्मचारियों के ब्यौरे तथा उनको किए गए संदाय से संबंधित सभी रजिस्ट्रों तथा लेखा-पुस्तको, जो किसी अन्य विधि के अधीन अनुरक्षित हैं, उचित प्रमाणीकरण के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराएगा।

(3) इस पैरा में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, केंद्रीय बोर्ड इस स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजन से नियोजकों को सामान्यतः ऐसे निदेश जारी कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक या उचित समझे, और प्रत्येक नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह उन निदेशों का पालन करे।

(4) किसी स्थापन का प्रत्येक नियोजक, इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा, अभिलेखों और रजिस्ट्रों का रखरखाव करेगा जिनमें नियोजित व्यक्तियों, मस्टर रोल, मजदूरी और संहिता की धारा 123 के खंड (क) के अधीन अपेक्षित अन्य विवरणों से संबंधित जानकारी भी सम्मिलित हो।

19. नियोजक द्वारा स्वामित्व की विशिष्टियाँ प्रस्तुत करना.— प्रत्येक नियोजक, ऐसे स्थापन के संबंध में जिस पर यह संहिता और यह स्कीम लागू होती है, आयुक्त को सभी शाखाओं और विभागों, मालिकों, अधिभोगियों, निदेशकों,

साझेदारों, प्रबंधकों या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का विवरण प्रस्तुत करेगा जिनका ऐसे स्थापन के मामलों पर अंतिम नियंत्रण है।

20. पेंशन निधि का विनिद्वान.— (1) केंद्रीय सरकार के अधिदाय के सिवाय, पेंशन निधि लेखे में जमा होने वाली सभी धनरकम का विनिद्वान कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 के पैरा 35 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(2) पेंशन निधि की वे आस्तियों जो पहले से भारत सरकार के लोक लेखे में विनिहित हैं, उसी खाते में विनिहित रहेंगी।

(3) 1 अप्रैल, 2026 से केंद्रीय सरकार द्वारा पेंशन निधि में जमा किया जाने वाला भविष्य का अधिदाय भारत सरकार के लोक लेखे में विनिहित किया जाएगा और केंद्रीय सरकार 8.5 प्रतिशत से कम की दर से ब्याज की अनुमति नहीं देगी।

21. निधि का व्ययन.— (1) संहिता और इस स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, पेंशन निधि को निम्नलिखित के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यय नहीं किया जाएगा।-

(i) इस स्कीम में परिकल्पित संदाय

(ii) इस स्कीम की अधिसूचना की तारीख से पहले पूर्ववर्ती कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अधीन स्वीकृत फायदों का निरंतर संदाय या 1 अप्रैल, 2026 से पहले उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में उसके बाद स्वीकृत; और

(iii) कर्मचारी कुटुंब पेंशन स्कीम, 1971 के अधीन 16 नवंबर, 1995 से पहले स्वीकृत कुटुंब पेंशन, जीवन बीमा फायदा और सेवानिवृत्ति-सह-प्रत्याहरण फायदों का निरंतर संदाय या उस तारीख से पहले उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में उसके बाद स्वीकृत फायदों का निरंतर संदाय।

(2) सभी प्रशासनिक व्यय कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 के पैरा 32 में विनिर्दिष्ट केंद्रीय प्रशासन खाते से पूरे किए जाएंगे :

परंतु पेंशन प्रेषण की लागत पेंशन निधि पर प्रभारित की जाएगी।

22. लेखों का रखरखाव.— केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखों के सामान्य रूपविधान में इस स्कीम के संबंध में एक समेकित आय और व्यय लेखा तथा एक समेकित तुलन पत्र बनाए रखेगा।

23. लेखापरीक्षा.— इस स्कीम के संचालन में किए गए प्रशासनिक व्यय सहित पेंशन निधि के लेखों, की लेखापरीक्षा केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी अनुदेशों के अनुसार की जाएगी।

24. फायदों का पूर्णांक निर्धारण.— सभी फायदा मदों की गणना निकटतम रुपये तक की जाएगी; पचास पैसे या उससे अधिक को अगले उच्चतर रुपये के रूप में गिना जाएगा और पचास पैसे से कम को अनदेखा किया जाएगा।

25. पेंशन निधि का मूल्यांकन.— (1) केंद्रीय सरकार अपने द्वारा नियुक्त मूल्यांकक से पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन करवाएगी।

(2) किसी भी समय, जब पेंशन निधि इसकी अनुमति दे, केंद्रीय सरकार-

(i) इस स्कीम के अधीन संदेय अधिदाय की दर में बदलाव कर सकती है

(ii) इस स्कीम के अधीन स्वीकार्य किसी भी फायदे की मात्रा में बदलाव कर सकती है; या

(iii) ऐसे फायदा दिए जाने की अवधि में परिवर्तन कर सकती है।

- 26. पेंशन और अन्य फायदों का वितरण.—** (1) आयुक्त, केंद्रीय बोर्ड की स्वीकृति से, डाकघर या राष्ट्रीयकृत बैंक या कोषागार या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक सहित अनुसूचित बैंक जैसी किसी भी वितरण अभिकरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल निधि हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम से पेंशन और अन्य फायदों के वितरण की व्यवस्था करेगा।
- (2) वितरण अभिकरणों को संदेय कमीशन और उससे संबंधित अन्य प्रभार स्कीम के पैरा 21 के अनुसार संदत किए जाएंगे।
- 27. रजिस्टर, अभिलेख आदि.—** आयुक्त, केंद्रीय बोर्ड के अनुमोदन से निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करेगा-
- (i) कर्मचारियों के संबंध में रखे जाने वाले रजिस्टर और अभिलेख
- (ii) किसी कर्मचारी या उसके नामनिर्देशिती व्यक्ति या पेंशन प्राप्त करने के पात्र कुटुंब सदस्य की पहचान के लिए पहचान पत्र, टोकन या डिस्क का प्रारूप या डिजाइन; तथा
- (iii) पेंशन और अन्य फायदों के अनुदान या उनकी निरंतरता से संबंधित अन्य प्ररूप या औपचारिकताएँ अपेक्षित करेगा, जो समय-समय पर आवश्यक सत्यापन के अधीन होंगी।
- 28. वार्षिक रिपोर्ट.—** केंद्रीय बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 के संचालन की वार्षिक रिपोर्ट, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इस स्कीम के संचालन पर एक रिपोर्ट सम्मिलित करेगा।
- 29. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 का लागू होना.—** जिन मामलों के लिए इस स्कीम में कोई उपबंध नहीं हैं, उनके संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 के संबंधित उपबंध लागू होंगे।
- 30. स्कीम के संचालन से छूट.—** समुचित सरकार संहिता की धारा 143 के अधीन किसी भी स्थापन या स्थापनों के वर्ग को इस स्कीम के संचालन से छूट दे सकती है, यदि उन स्थापनों के कर्मचारी-
- (i) किसी अन्य पेंशन स्कीम के सदस्य हैं,
- (ii) ऐसी पेंशन स्कीम के सदस्य बनने का प्रस्ताव रखते हैं, जो इस स्कीम के अधीन दिए गए फायदों के बराबर या उनसे अधिक अनुकूल पेंशन फायदा प्रदान करते हों।
- (2) जहां उप-पैरा (1) के अधीन छूट दी जाती है, वहाँ कुटुंब पेंशन स्कीम, 1971 या कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अधीन ऐसी स्थापनों के कर्मचारियों के खाते में उपलब्ध प्रत्याहरण फायदा, कर्मचारियों की सहमति के अधीन, स्थापनों के पेंशन निधि में स्थानांतरित किए जाएंगे।
- (3) इस पैरा के अधीन छूट के लिए एक आवेदन, संबंधित अधिकारिता वाले क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को, स्थापन की पेंशन स्कीम की एक प्रति और अन्य सुसंगत दस्तावेज भी संलग्न किए जाएंगे, जिनकी मांग की जाए।
- (4) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उसकी जांच करेगा, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की सिफारिशें प्राप्त करेगा, और निर्णय के लिए उन्हें समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- (5) इस पैरा के अधीन छूट के आवेदन के निपटारे तक, पैरा 4 के उप-पैरा (1) में परिकल्पित नियोजक का अभिदाय पेंशन निधि में प्रेषित नहीं किया जाएगा।
- (6) छूट के आवेदन का निपटारा, उसकी प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर किया जाएगा, जिसे अभिलिखित रूप में दर्ज कारणों के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।
- (7) जहां छूट के आवेदन का निपटारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो मांगी गई छूट को प्रदान किया गया मान लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस पैरा के प्रयोजन के लिए, छह मास की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिस तारीख को छूट का आवेदन, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के समाधान के अनुसार पूर्ण रूप में प्रस्तुत किया गया हो।

31. विवरणी प्रस्तुत करना .— छूट प्राप्त स्थापन या स्थापनों के वर्ग का नियोजक और ऐसे छूट प्राप्त स्थापन या स्थापनों के वर्ग का न्यासी बोर्ड , इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप में आयुक्त को एक मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

32. अंतरण मूल्य.— (1) जहां किसी स्थापन को छूट प्रदान की जाती है या जहां किसी सदस्य को किसी छूट प्राप्त स्थापन की पेंशन निधि से अन्य छूट प्राप्त स्थापन या कानूनी पेंशन निधि में या इसके विपरीत स्थानांतरित किया जाता है, तो अंतरण मूल्य का संदाय निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर किया जाएगा:—

(i) 15 नवंबर 1995 तक की पूर्व सेवा अवधि से संबंधित प्रत्याहरण फायदा, जो सारणी -1 के अनुसार, 16 नवंबर 1995 से यथास्थिति छूट या अंतरण की तारीख तक की अवधि के लिए सारणी-2 के गुणक से गुणा किया जाएगा; तथा

(ii) पेंशन योग्य सेवा के लिए अंतरण मूल्य सारणी -5 के अनुसार होगा, जो 16 नवंबर, 1995 से या स्थापन में शामिल होने की तारीख से यथास्थिति छूट या अंतरण की तारीख तक की गई सेवा के लिए संदेय होगा।

(2) पैरा 30 के अधीन अनुदत्त की गई छूट के रद्दकरण की स्थिति में, निधि का अंतरण छूट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

33. केंद्रीय सरकार को सूचना.— केंद्रीय बोर्ड, समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निदेशित पेंशन निधि खाते से आय और व्यय के संबंध में, केंद्रीय सरकार को जानकारी प्रदान करेगा।

34. निर्वचन— जहां इस स्कीम के उपबंधों के निर्वचन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, वहां उसे केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा, जो इस विषय पर विनिश्चय करेगी।

35. हत्या के अपराध में आरोपित व्यक्ति की दशा में पेंशन का संदाय.— (1) जहां कोई व्यक्ति, जो पेंशन निधि के किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में पैरा 12 या पैरा 15 के अधीन पेंशन प्राप्त करने का पात्र है, उस पर सदस्य की हत्या करने या ऐसी हत्या में सहयोग करने का आरोप लगता है, तो उसके विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही के समाप्ति तक पेंशन प्राप्त करने के दावे स्थगित रहेंगे।

(2) उप-पैरा (1), में विनिर्दिष्ट आपराधिक कार्यवाही की समाप्ति पर,—

(i) यदि संबंधित व्यक्ति सदस्य की हत्या या हत्या में सहयोग के लिए दोषी सिद्ध होता है, तो व्यक्ति पेंशन प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा, जो कि मृतक सदस्य के कुटुंब के अन्य पात्र सदस्यों को संदेय होगी; या

(ii) यदि वह व्यक्ति सदस्य की हत्या या हत्या में सहयोग के आरोप से बरी हो जाता है, तो उस व्यक्ति को पेंशन फायदा संदेय होगा।

36. अंतरराष्ट्रीय कर्मकारों के संबंध में विशेष उपबंध.— इस स्कीम में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, निम्नलिखित उपबंध अंतरराष्ट्रीय कर्मकार पर लागू होंगे, अर्थात्:-

(1) पात्र सेवा का अवधारणा निम्नानुसार किया जाएगा,

(i) "विद्यमान सदस्य" या "विद्यमान सदस्य से भिन्न अन्य सदस्य" की दशा में, "वास्तविक सेवा" को पात्र सेवा माना जाएगा;

(ii) सामाजिक सुरक्षा करार द्वारा कवर किए गए सदस्य की दशा में, किसी अन्य देश में सुसंगत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अधीन आने की अवधि को वास्तविक सेवा में जोड़ा जाएगा और उन दोनों के योग को सामाजिक सुरक्षा करार में उपबंध की जा सकने वाली पात्र सेवा के रूप में माना जाएगा।

(2) पेंशन योग्य वेतन, पेंशन निधि में सदस्यता की सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन होगा, चाहे वह समय-दर या कार्य-दर के आधार पर।

(3) भारत और किसी अन्य देश के बीच हुए सामाजिक सुरक्षा करार के अधीन आने वाला कोई अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार, जिसने नियोजन छोड़ने की तारीख से या अधिवर्षिता की आयु होने तक जो भी पहले हो, पैरा 9 में विहित पात्र सेवा पूरी नहीं की है, वह उस सामाजिक सुरक्षा करार में दिए गए अनुसार पूर्णता फायदे का पात्र होगा:

परंतु यदि उक्त करार के उपबंध के अधीन आने वाले अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार ने उक्त करार में दिए गए अनुसार समग्रीकरण फायदे को शामिल करने के पश्चात भी पात्र सेवा पूरी नहीं की है, तो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार सारणी '4' में दिए गए प्रत्याहरण फायदे का पात्र होगा।

परंतु सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा छोड़ने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार प्रत्याहरण फायदे प्राप्त करने के लिए तभी पात्र होगा, जब अंतिम अभिदाय संदेय होने की तारीख से छत्तीस मास पूरे हो गए हों, या जब वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ले, इसमें से जो भी पूर्वतर हो।

(4) (i) आयुक्त, केंद्रीय बोर्ड की स्वीकृति से, इस स्कीम के अधीन पेंशन और अन्य फायदों के लिए वितरण अभिकरणों जैसे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक सहित डाकघर या राष्ट्रीयकृत बैंक या कोषागार या अनुसूचित बैंक के साथ इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल निधि अंतरण प्रणाली के माध्यम से व्यवस्था करेगा।

(ii) वितरण अभिकरणों को संदेय कमीशन और उससे संबंधित अन्य प्रभारों का वहन इस स्कीम के पैरा 21 में दिए गए उपबंध के अनुसार किया जाएगा।

परंतु यदि इस स्कीम के अधीन फायदाग्राही भारत और किसी अन्य देश के बीच हुए सामाजिक सुरक्षा करार के अधीन आता है, तो इस स्कीम के अधीन पेंशन और अन्य फायदों का वितरण उक्त करार में विनिर्दिष्ट रीति और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(5) आयुक्त, भारत सरकार और किसी अन्य देश के बीच हुए सामाजिक सुरक्षा करार के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सौंपे गए ऐसे सभी कार्यों का निष्पादन, उसमें दी गई रीति और विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार करेंगे।

सारणी – 1

[पैरा 13(1) और 32(1)(i) देखिए]

(प्रत्याहरण फायदा)

संदत अभिदाय के पूर्ण वर्षों की संख्या	सदस्यता समाप्त होने पर संदेय मजदूरी का अनुपात
(1)	(2)
1	0.2
2	0.41
3	0.62

4	0.84
5	1.06
6	1.29
7	1.51
8	1.75
9	1.98
10	2.23
11	2.47
12	2.72
13	2.98
14	3.24
15	3.51
16	3.78
17	4.05
18	4.34
19	4.62
20	4.92
21	5.21
22	5.52
23	5.83
24	6.14
25	6.46
26	6.79

27	7.12
28	7.46
29	7.81
30	8.16
31	8.52
32	8.89
33	9.26
34	9.64
35	10.03
36	10.43
37	10.83
38	11.24
39	11.66
40	12.08

सारणी – 2

[पैरा 12(3), 13(1), 32(1)(i) देखिए]

(नियोजन छोड़ने पर विद्यमान सदस्यों के लिए समाप्त पारिवारिक पेंशन स्कीम के अधीन पिछली सर्विस के फायदा की गणना के लिए गुणक)

(1)	(2)
वर्ष	गुणक
1 से कम	1.039
2 से कम	1.122
3 से कम	1.212

4 से कम	1.309
5 से कम	1.413
6 से कम	1.526
7 से कम	1.649
8 से कम	1.781
9 से कम	1.923
10 से कम	2.077
11 से कम	2.243
12 से कम	2.423
13 से कम	2.616
14 से कम	2.826
15 से कम	3.052
16 से कम	3.296
17 से कम	3.560
18 से कम	3.845
19 से कम	4.152
20 से कम	4.485
21 से कम	4.843
22 से कम	5.231
23 से कम	5.649
24 से कम	6.101
25 से कम	6.589
26 से कम	7.117
27 से कम	7.686

28 से कम	8.301
29 से कम	8.965
30 से कम	9.682
31 से कम	10.487
32 से कम	11.294
33 से कम	12.197
34 से कम	13.173
35 से कम	14.2271
36 से कम	15.36555
37 से कम	16.59509
38 से कम	17.92303
39 से कम	19.35722
40 से कम	20.90618
41 से कम	22.57909
42 से कम	24.38586]

सारणी - 3

[पैरा 15(2)(क)(i) और 15(2)(क)(ii) देखें]

(समतुल्य विधवा पेंशन)

मृत्यु के दिन मजदूरी इससे अधिक नहीं (1)	समतुल्य विधवा पेंशन (2)
(रुपए)	(रुपए)
300 तक	250
350	327
400	343

450	359
500	375
550	391
600	408
650	425
700	442
750	459
800	476
850	493
900	510
950	527
1000	544
1050	561
1100	578
1150	595
1200	612
1250	629
1300	646
1350	664
1400	682
1450	700
1500	718
1550	736
1600	754

1650	772
1700	797
1750	808
1800	826
1850	844
1900	862
1950	880
2000	898
2050	916
2100	935
2150	954
2200	973
2250	992
2300	1011
2350	1030
2400	1049
2450	1068
2500	1087
2550	1106
2600	1125
2650	1144
2700	1163
2750	1182
2800	1201

2850	1221
2900	1241
2950	1261
3000	1281
3050	1301
3100	1321
3150	1341
3200	1361
3250	1381
3300	1401
3350	1421
3400	1441
3450	1461
3500	1481
3550	1501
3600	1521
3650	1541
3700	1561
3750	1581
3800	1601
3850	1621
3900	1641
3950	1661
4000	1681

4050	1701
4100	1721
4150	1741
4200	1751
4250	1761
4300	1771
4350	1781
4400	1791
4450	1801
4500	1811
4550	1821
4600	1831
4650	1841
4700	1851
4750	1861
4800	1871
4850	1881
4900	1891
4950	1896
5000	1901
5050	1906
5100	1911
5150	1916
5200	1921

5250	1926
5300	1931
5350	1936
5400	1941
5450	1946
5500	1951
5550	1956
5600	1961
5650	1966
5700	1971
5750	1976
5800	1981
5850	1986
5900	1991
5950	1996
6000	2001
6050	2006
6100	2011
6150	2016
6200	2021
6250	2026
6300	2031
6350	2036
6400	2041

6450	2046
6500	2051.]
[6,550	2,056
6,600	2,061
6,650	2,066
6,700	2,071
6,750	2,076
6,800	2,081
6,850	2,086
6,900	2,091
6,950	2,096
7,000	2,101
7,050	2,106
7,100	2,111
7,150	2,116
7,200	2,121
7,250	2,126
7,300	2,131
7,350	2,136
7,400	2,141
7,450	2,146
7,500	2,151
7,550	2,156
7,600	2,161

7,650	2,166
7,700	2,171
7,750	2,176
7,800	2,181
7850	2,186
7,900	2,191
7,950	2,196
8,000	2,201
8,050	2,206
8,100	2,211
8,150	2,216
8,200	2,221
8,250	2,226
8,300	2,231
8,350	2,236
8,400	2,241
8,450	2,246
8,500	2,251
8,550	2,256
8,600	2,261
8,650	2,266
8,700	2,271
8,750	2,276
8,800	2,281

8,850	2,286
8,900	2,291
8,950	2,296
9,000	2,301
9,050	2,306
9,100	2,311
9,150	2,316
9,200	2,321
9,250	2,326
9,300	2,331
9,350	2,336
9,400	2,341
9,450	2,346
9,500	2,351
9,550	2,356
9,600	2,361
9,650	2,366
9,700	2,371
9,750	2,376
9,800	2,381
9,850	2,386
9,900	2,391
9,950	2,396
10,000	2,401

10,050	2,406
10,100	2,411
10,150	2,416
10,200	2,421
10,250	2,426
10,300	2,431
10,350	2,436
10,400	2,441
10,450	2,446
10,500	2,451
10,550	2,456
10,600	2,461
10,65b	2,466
10,700	2,471
10,750	2,476
10,800	2,481
10,850	2,486
10,900	2,491
10,950	2,496
11,000	2,501
11,050	2,506
11,100	2,511
11,150	2,516
11,200	2,521

11,250	2,526
11,300	2,531
11,350	2,536
11,400	2,541
11,450	2,546
11,500	2,551
11,550	2,556
11,600	2,561
11,650	2,566
11,700	2,571
11,750	2,576
11,800	2,581
11,850	2,586
11,900	2,591
11,950	2,596
12,000	2,601
12,050	2,606
12,100	2,611
12,150	2,616
12,200	2,621
12,250	2,626
12,300	2,631
12,350	2,636
12,400	2,641

12,450	2,646
12,500	2,651
12,550	2,656
12,600	2,661
12,650	2,666
12,700	2,671
12,750	2,676
12,800	2,681
12,850	2,686
12,900	2,691
12,950	2,696
13,000	2,701
13,050	2,706
13,100	2,711
13,150	2,716
13,200	2,721
13,250	2,726
13,300	2,731
13,350	2,736
13,400	2,741
13,450	2,746
13,500	2,751
13,550	2,756
13,600	2,761

13,650	2,766
13,700	2,771
13,750	2,776
13,800	2,781
13,850	2,786
13,900	2,791
13,950	2,796
14,000	2,801
14,050	2,806
14,100	2,811
14,150	2,816
14,200	2,821
14,250	2,826
14,300	2,831
14,350	2,836
14,400	2,841
14,450	2,846
14,500	2,851
14,550	2,856
14,600	2,861
14,650	2,866
14,700	2,871
14,750	2,876
14,800	2,881

14,850	2,886
14,900	2,891
14,950	2,896
15,000 या अधिक	2,901.

सारणी - 4

[पैरा 13 (1) और 36 (3) देखें]

रोजगार निकास पर अभिदाय की वापसी

सेवा के मास	निकास पर मजदूरी का अनुपात
1	0.08
2	0.17
3	0.25
4	0.33
5	0.42
6	0.51
7	0.60
8	0.68
9	0.77
10	0.85
11	0.94
12	1.02
13	1.10

14	1.18
15	1.26
16	1.34
17	1.42
18	1.51
19	1.59
20	1.67
21	1.75
22	1.83
23	1.91
24	1.99
25	2.07
26	2.16
27	2.24
28	2.32
29	2.40
30	2.49
31	2.57
32	2.65
33	2.73

34	2.82
35	2.90
36	2.98
37	3.06
38	3.15
39	3.23
40	3.32
41	3.40
42	3.49
43	3.57
44	3.65
45	3.74
46	3.82
47	3.91
48	3.99
49	4.08
50	4.16
51	4.25
52	4.33
53	4.42

54	4.51
55	4.59
56	4.68
57	4.76
58	4.85
59	4.93
60	5.02
61	5.11
62	5.20
63	5.28
64	5.37
65	5.46
66	5.55
67	5.63
68	5.72
69	5.81
70	5.90
71	5.98
72	6.07
73	6.16

74	6.25
75	6.34
76	6.42
77	6.51
78	6.60
79	6.69
80	6.78
81	6.87
82	6.95
83	7.04
84	7.13
85	7.22
86	7.31
87	7.40
88	7.49
89	7.58
90	7.68
91	7.77
92	7.86
93	7.95

94	8.04
95	8.13
96	8.22
97	8.31
98	8.41
99	8.50
100	8.59
101	8.68
102	8.78
103	8.87
104	8.96
105	9.05
106	9.15
107	9.24
108	9.33
109	9.33
110	9.33
111	9.33
112	9.33
113	9.33.]

सारणी – 5
[पैरा 32(1)(ii) देखिए]

(कर्मचारी पेंशन योजना, 2026 से छूट प्राप्त या अन्य पेंशन निधि में अंशदान का अंतरण और इसके विपरीत)

पूरे वर्ष की अंशदान अवधि की संख्या	अंतिम अंशदान मास में देय मजदूरी का अनुपात
1	0.987
2	1.998
3	3.033
4	4.093
5	5.178
6	6.289
7	7.426
8	8.590
9	9.782
10	11.003
11	12.252
12	13.531
13	14.841
14	16.182
15	17.554
16	18.960
17	20.399
18	21.872
19	23.380
20	24.924

21	26.505
22	28.123
23	29.780
24	31.477

प्ररूप-1

(पैरा 31 देखें)

छूट प्राप्त स्थापनाओं / स्थापनाओं के वर्ग / न्यासी बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला मासिक विवरण।

1. स्थापना का विवरण:				
(क)	स्थापना का नाम व पूरा पता			
(ख)	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा आवंटित कोड संख्या			
2. कर्मचारियों का विवरण (सभी शाखाओं / ईकाइयों आदि सहित)				
(क)	पिछले मास के अंत तक कर्मचारियों की संख्या			
(ख)	मास के दौरान नियोजित होने वाले कर्मचारियों की संख्या			
(ग)	मास के दौरान सेवा छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या			
(घ)	मास के अंत तक कर्मचारियों की संख्या [[क) + (ख) - (ग)]			
(ङ)	उपर्युक्त (घ) में से, अपवर्जित कर्मचारियों की संख्या			
(च)	मास के अंत में पेंशन निधि सदस्यों की संख्या [विभिन्न स्थानों पर स्थित इकाईवार उपरोक्त विवरण प्रस्तुत करें। यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें।]			
3. न्यासी बोर्ड का गठन				
(क)	वर्तमान बोर्ड के गठन की तारीख	दिन	मास	वर्ष
(ख)	बोर्ड का कार्यकाल			वर्ष
(ग)	न्यासियों की कुल संख्या			
	(i)	कर्मचारियों के प्रतिनिधि		
	(ii)	नियोक्ताओं के प्रतिनिधि		
4. मजदूरी, अंशदान, आदि				
(क)	पेंशन अंशदान के लिए उत्तरदायी सकल वेतन की राशि	रु.		
(ख)	पेंशन निधि के अंशदान की दर	%		

(ग)	चालू मास के लिए हस्तांतरित की जाने वाली पेंशन अंशदान की राशि	रु.
(घ)	पिछले मास के अंत में न्यासी बोर्ड को हस्तांतरित की जाने वाली बकाया राशि, यदि कोई हो	रु.
(ङ)	(ग) व (घ) का योग	रु.
(च)	न्यासी बोर्ड को वास्तव में हस्तांतरित की गई राशि	रु.
(छ)	न्यासी बोर्ड को हस्तांतरित करने हेतु देय राशि, यदि कोई हो [(ङ)-(च)]	रु.
(ज)	क्या निधि के विलंबित हस्तांतरण के लिए संहिता की धारा 127 के तहत देय ब्याज, यदि कोई हो, का भुगतान किया गया है?	हाँ नहीं
(झ)	मास के अंत में भुगतान योग्य ब्याज की राशि	रु.
5. पेंशन भोगियों का विवरण		
(क)	मास के अंत में पेंशन भोगियों की संख्या	
	(i) सदस्य (स्वयं) पेंशनभोगी	
	- सेवानिवृत्ति पेंशन	
	- समय पूर्व पेंशन	
	- दिव्यांग पेंशन	
	(ii) जीवनसाथी पेंशनभोगी	
	- सेवा के दौरान मृत्यु	
	- सेवा छोड़ने के बाद मृत्यु	
	- पेंशनभोगी के रूप में मृत्यु	
	(iii) संतान पेंशनभोगी	
	- सामान्य संतान	
	- दिव्यांग संतान (जीवनपर्यंत पेंशन)	
	(iv) अनाथ पेंशनभोगी	
	(v) नामिति पेंशनभोगी	
	(vi) आश्रित माता-पिता पेंशनभोगी	
(ख)	मास के दौरान भुगतान की गई पेंशन की कुल राशि	रु.
6. निकासी मामलों का विवरण		
(क)	मास के दौरान निकासी लाभ लेने वाले व्यक्तियों की संख्या	
(ख)	मास के दौरान भुगतान की गई राशि	रु.
	निकासी मामलों की संख्या जहां योजना प्रमाणपत्र जारी किए गए।	

7. निवेश का विवरण		
(क)	मास की शुरुआत में पेंशन निधि में निवेशित राशि	रु.
(ख)	मास के दौरान प्राप्त राशि	
	(i) नियोजक के अंशदान के रूप में	
	चालू मास	रु.
	बकाया, यदि कोई हो	रु.
	(ii) परिपक्व प्रतिभूतियों/जमाओं का नकदीकरण	रु.
	(iii) निवेश पर ब्याज/लाभांश	रु.
	(iv) अन्य अंतः अंतरित-मामले	रु.
	(v) नुकसानी, यदि कोई हो	रु.
	(vi) विलंबित भुगतानों पर ब्याज, यदि कोई हो	रु.
(vii) विविध, यदि कोई हो (कृपया निर्दिष्ट करें)	रु.	
(ग)	मास के दौरान किए गए भुगतान	रु.
(घ)	मास के दौरान निवेश की गई राशि	रु.
प्रतिभूतियाँ		
	- केंद्रीय सरकार	रु.
	- राज्य सरकार	रु.
	-अन्य, यदि कोई हो	रु.
जमा		
	- सार्वजनिक वित्तीय संस्थान/बैंक	रु.
(ड)	क्या निवेश पैटर्न का अनुसरण किया गया?	हाँ नहीं
(च)	यदि हां, तो प्रतिशत को वर्गीकृत करें।	
	(i) प्रतिभूतियाँ	
	केंद्र सरकार	%
	राज्य सरकार	%
	अन्य	%
	(ii) जमा	
	- सार्वजनिक वित्तीय संस्थान/बैंक	%
	(iii) जीवन बीमा निगम से खरीदी गई वार्षिकी	रु.
(छ)	नकद/बैंक में बिना निवेश की हुई राशि	रु.
8. संवितरण का तरीका [एक विकल्प चुने]		
	- बैंक के माध्यम से	
	- पोस्ट ऑफिस के माध्यम से	

	- एलआईसी के माध्यम से वार्षिकी खरीदकर	
	- अन्य, यदि कोई हो, (कृपया निर्दिष्ट करें)	
9. स्थापना के पेंशन निधि के नियम		
	मास के दौरान नियमों को सांविधिक पेंशन योजना (कर्मचारी पेंशन योजना, 2026) के समकक्ष बनाने के लिए यदि कोई संशोधन किया गया है, तो उसका विवरण।	

तारीख

बोर्ड के न्यासी/नियोजक के आधिकारिक मुहर के साथ हस्ताक्षर

[फा.सं. एस-35025/25/2026-एसएस-II]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2026

G.S.R. 527(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 15 of the Code on Social Security (36 of 2020) and in supersession of the Employees' Family Pension Scheme, 1971 and the Employees' Pension Scheme, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:—

1. **Short title, commencement and application.** - (1) This Scheme may be called the Employees' Pension Scheme, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

(3) Subject to the provisions of section 20 of the Code on Social Security, 2020, this Scheme shall apply to the employees of all establishments to which the provisions of Chapter III apply under sub-section (4) or are applied under sub-section (5) or sub-section (6) or sub-section (8) of section 1 of the Code on Social Security, 2020.

2. **Definitions.** - (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires;

(a) " actual service " means the aggregate of period of service rendered from the 16th November, 1995 or from the date of joining any establishment whichever is later to the date of exit from the employment of the establishment covered under the Code;

- (b) “Code” means Code on Social Security, 2020 (36 of 2020);
- (c) "Commissioner " means a Central Provident Fund Commissioner, an Additional Central Provident Fund Commissioner, a Deputy Provident Fund Commissioner, a Regional Provident Fund Commissioner and an Assistant Provident Fund Commissioner appointed under section 14 of the Code;
- (d) "contributory service" means the period of actual service rendered by a member for which the contributions to the fund have been received or are receivable;
- (e) " eligible family " means –
 - (i) wife in the case of male member;
 - (ii) husband in the case of a female member; and
 - (iii) sons and daughters of a member

Explanation. - The expression " sons " and " daughters " shall include children legally adopted by the member;

- (f) " existing member " means an employee who is a member of the Employees' Family Pension Scheme,1971;
- (g) “International Worker” means—
 - (i) an employee other than an Indian employee, holding other than an Indian Passport, working for an establishment in India, to which the Code applies;
 - (ii) an Indian employee having worked or going to work in a foreign country with which India has entered into a security agreement and being eligible to avail the benefits under a social security programme of that country, by virtue of the eligibility gained or going to gain, under the said agreement:

Provided that the worker, who is a Nepalese national on account of Treaty of Peace and Friendship of 1950 and the worker who is a Bhutanese national on account of India-Bhutan Friendship Treaty of 2007, shall be deemed to be an Indian worker;

- (h) “ member " means an employee who becomes a member of the Pension Fund;

Explanation. - An employee shall cease to be the member of the Pension Fund from the date of superannuation or from the date of vesting admissible benefits under the Scheme, whichever is earlier;
- (i) " non-contributory service " is the period of actual service rendered by a member for which no contribution to the Pension Fund has been received or is receivable;
- (j) " orphan " means a person whose parents are not alive;

- (k) " past service " means the period of service rendered by an existing member from the date of joining the Employees' Family Pension Fund till the 15th November, 1995;
- (l) " pension " means the pension payable under the Employees' Pension Scheme, 2026 and includes the pension admissible and payable under the erstwhile Employees' Pension Scheme, 1995 and Employees' Family Pension Scheme, 1971 immediately preceding the commencement of this Scheme;
- (m) "Scheme" means the Employees' Pension Scheme, 2026;
- (n) "Table" means a table appended to this Scheme;
- (o) "wage ceiling period" means the period during which particular wage ceiling was applicable.

(2) The words and expressions used herein and not defined in this Scheme, shall have the same meaning as assigned to them in the Code and the Employees' Provident Funds Scheme, 2026.

3. **Pension Fund Account.** -The erstwhile Employees' Pension Fund Account under Employees' Pension Scheme, 1995 shall continue to be maintained as the Pension Fund Account under this Scheme.

4. **Pension Fund.** - (1) From and out of the contributions payable by the employer in each month under clause (a) of sub-section (1) of section 16 of the Code or under the rules of the Provident Fund of the establishment which is exempted under section 143 of the Code, a part of contribution of eight and thirty-three hundredths per cent. of the wages of employee up to wage ceiling notified by the Central Government, shall be remitted by the employer to the Pension Fund within fifteen days of the close of every month in the account of the Central Board and the cost of the remittance, if any, shall be borne by the employer.

(2) The Central Government shall contribute to the Scheme at the rate of one and sixteen hundredths per cent. of the pay of the members of the Employees' Pension Scheme, limited to such sum as may be specified by the Central Government :

Provided that where the wage of the member exceeds the wage ceiling notified by the Central Government, the contribution payable by the employer and the Central Government shall be limited to the amount payable on wages up to such wage ceiling :

Provided further that with effect from 1st of September, 2014, in respect of members who have exercised joint option for contributing under the provisions of paragraph 11 of the erstwhile Employees' Pension Scheme, 1995 and are found eligible, the contribution of the employer shall be nine and forty-nine hundredths per cent. of the wages of each member by increasing it by one and sixteen hundredths per cent. from the extant eight and thirty-

three hundredths per cent. and such increased contribution shall be applicable to wages exceeding fifteen thousand rupees per month.

(3) Each contribution payable under sub-paragraphs (1) and (2) shall be calculated to the nearest rupee, fifty paise or more to be counted as the next higher rupee and fraction of a rupee less than fifty paise being ignored.

(4) The net assets of the erstwhile Employees' Pension Scheme, 1995 shall vest in and stand transferred to the Pension Fund.

5. **Payment of contribution.** - (1) The employer shall pay the contribution payable to the Pension Fund in respect of each member employed by such employer, whether directly or through a contractor.

(2) It shall be the responsibility of the principal employer to pay the contributions payable to the Pension Fund.

6. **Recovery of damages for default in payment of any contributions.** - Where any employer makes default in the payment of contribution to the Pension Fund or in the payment of any charges payable under any provisions of the Code or this Scheme, the Central Provident Fund Commissioner or such officers as may be authorised in this behalf, may levy and recover from the employer, by way of penalty, damages at the rates specified in the Employees' Provident Funds Scheme, 2026.

7. **Membership of Employees' Pension Scheme.** - (1) This Scheme shall apply to every employee –

- (i) who, on or after the date of notification of this Scheme, becomes a member of the Employees' Provident Funds Scheme, 2026 or the Provident Fund of the establishment which is exempted under section 143 of the Code and whose wages on such date is less than or equal to wage ceiling notified by the Central Government;
- (ii) who has been a member of the erstwhile Employees' Pension Scheme, 1995 or was entitled to become a member of the Employees' Pension Scheme, 1995 or Employees' Family Pension Scheme, 1971 before the date of commencement of this Scheme.

Explanation. - An employee shall cease to be the member of Pension Fund from the date on attaining the age of superannuation or from the date of vesting admissible benefits under this Scheme, whichever is earlier.

(2) A member of the Pension Fund shall continue to be such member until the earliest of the following events, namely:—

- (a) attainment of age of superannuation;
- (b) availing of the withdrawal benefit under paragraph 13;
- (c) death of the member;

(d) vesting of pension in the member under paragraph 12.

8. **Resolution of doubts.** - Where a doubt arises as to whether an employee is entitled to become a member of the Pension Fund, the matter shall be referred to the Regional Provident Fund Commissioner, who shall decide the same:

Provided that both the employer and the employee shall be afforded an opportunity of being heard before passing the final order in the matter.

9. **Determination of eligible service.** - (1) In the case of a member other than an existing member, the contributory service shall be treated as eligible service and the total contributory service shall be rounded off to the nearest year, with a fraction of service of six months or more shall be treated as one year and the service less than six months shall be ignored.

Explanation. - In the case of employees employed seasonally in any establishment, the period of contributory service in any year, notwithstanding that such service is less than a year, shall be treated as a full year.

(2) In the case of the existing member the aggregate of contributory service and the past service shall be treated as eligible service:

Provided that where any period in the past service is one in respect of which the contributions towards the Family Pension Scheme, 1971 has not been received, the said period shall count as eligible service if the contributions thereof have been received in the Pension Fund.

Explanation. - For the purposes of this paragraph, any aggregate of contributory service and past service of less than six months shall be ignored and six months or more shall be rounded off to one year.

10. **Determination of pensionable service.** - (1) The pensionable service of the member shall be determined with reference to the contributions received or receivable in the Pension Fund.

(2) Where the member who superannuates on attaining the age of superannuation and who has rendered twenty years of pensionable service or more, the pensionable service shall be increased by adding a weightage of two years.

11. **Determination of pensionable wages.** - (1) The pensionable wages shall be the average monthly wages drawn, whether on time-rate or on piece-rate basis, during the contributory period of service in the span of sixty months immediately preceding the date of exit from the membership and the pensionable wages shall be determined on a *pro rata* basis for every wage ceiling:

Provided that these shall be subject to the maximum of wage ceiling applicable to each of such period:

Provided further that where a member was not in receipt of full wages during the said period of sixty months, the average of the full wages drawn during the preceding sixty months, for which contribution to the Pension Fund was recovered, shall be considered as pensionable wages for calculating pension.

(2) Where, during the said span of sixty months, there are non-contributory periods of service, including cases where wages drawn during the span of sixty months shall be divided by the actual number of days for which wages were drawn and the amount so derived shall be multiplied by thirty to determine the average monthly wages.

(3) The maximum pensionable wages shall be limited to the notified wage ceiling per month.

12. **Monthly pension.** - (1) A member shall be entitled to-

- (i) superannuation pension, where the member has rendered eligible service of not less than ten years and retires on attaining the age of superannuation;
- (ii) early pension, where the member has rendered eligible service of not less than ten years and retires or otherwise ceases to be in the employment before attaining the age of superannuation.

(2) Where a member other than an existing member, the amount of monthly superannuation pension or early pension, as the case may be, shall be computed in accordance with the following formula: -

$$\text{Monthly member's pension} = \frac{(\text{Pensionable wages X Pensionable service})}{70}$$

Provided that the monthly pension of a member shall be determined on a *pro rata* basis for every wage ceiling period.

Provided further that pensionable wages shall be subject to a maximum of the wage ceiling applicable to each such period.

(3) Where an existing member in respect of whom the date of commencement of pension is after the 16th November, 2005, superannuation or early pension shall be equal to the aggregate of,—

- (a) pension as determined under sub-paragraph (2) for the period of pensionable service rendered from the 16th November, 1995 or six hundred and thirty-five rupees per month, whichever is more;
- (b) past service pension payable on completion of superannuation as specified in sub-section (82) of section 2 of the Code on the 16th November, 1995, shall be as given as provided in the table below,—

Table

Sl. No.	Years of past service	Wages upto Rs. 2500/- per month	Wages more than Rs. 2500/- per month
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)	upto 11 years	80	85
(ii)	more than 11 years but upto 15 years	95	105
(iii)	more than 15 years but less than 20 years	120	135
(iv)	beyond 20 years	150	170

Note:

the amount specified in column (3) or (4) of the table, as the case may be, shall be multiplied by

- (i) the factor given in Table - II corresponding to the period between the 16th November, 1995 and the date of exit to arrive at past service pension payable;
- (ii) the aggregate of clauses (a) and (b) calculated under this sub-paragraph shall be subject to a minimum of eight hundred rupees per month:

Provided that the eligible service is twenty-four years:

Provided further that if it is less than twenty-four years, the pension as computed above shall be reduced proportionately subject to a minimum of four hundred and fifty rupees per month.

(4) In the case of an existing member and in respect of whom the date of commencement of pension is between the 16th November, 2000 and the 16th November, 2005,—

- (a) superannuation or early pension shall be equal to the aggregate of,—
 - (i) pension as determined under sub-paragraph (2) for the period of service rendered from the 16th November, 1995 or four hundred and thirty-eight rupees per month, whichever is more;
 - (ii) past service pension as provided in sub- paragraph (3).

- (b) the aggregate clauses of (a) and (b) calculated under sub-paragraph (3) shall be subject to a minimum of six hundred rupees per month:

Provided that the eligible service is twenty-four years:

Provided further that if it is less than twenty-four years, the pension shall be proportionately reduced subject to a minimum of three hundred and twenty-five rupees per month.

(5) In the case of an existing member and in respect of whom the date of commencement of pension is before the 16th November, 2000,—

- (a) the superannuation or early pension shall be equal to the aggregate of—
 - (i) pension as determined under sub-paragraph (2) for the period of service rendered from the 16th November, 1995 or three hundred and thirty-five rupees per month, whichever is more;
 - (ii) past service pension as provided in sub-paragraph (3).
- (b) The aggregate of sub-clauses (i) and (ii) calculated as above shall be subject to a minimum of five hundred rupees per month:

Provided that the eligible service is twenty-four years:

Provided further that it is less than twenty-four years, the pension shall be proportionately reduced but subject to the minimum of two hundred and sixty-five rupees per month.

(6) Except as otherwise expressly provided hereinafter the monthly pension under sub-paragraphs (2) to (5) shall be payable from a date immediately following the date of completion of the age of superannuation, even if the member has retired or ceased to be in the employment before that date.

(7) A member may be allowed to draw an early pension from a date earlier than the age of superannuation, but not earlier than fifty years of age, and the amount of pension shall be reduced at the rate of four per cent., for every year the age falls short of age of superannuation.

(8) the member's monthly pension including any relief payable to any existing or future member under this paragraph, shall not be less than one thousand rupees.

Provided that, on and from the first day of September, 2014, the minimum pension of one thousand rupees payable under this sub-paragraph shall be subject to –

- (i) deductions on account of benefits of commutation and return of capital taken by members under the provisions of the erstwhile Employees' Pension Scheme, 1995 prior to 26th September, 2008; and
- (ii) deductions on account of early pension under sub-paragraph (7).

(9) (a) A member who has attained the age of superannuation and is otherwise eligible for pension under clause (a) of sub-paragraph (1) may be allowed to defer the age of drawing pension later than the age of superannuation, but not beyond sixty years of age.

(b) In such cases as is referred to in clause (a), -

- (i) the amount of pension shall be increased at the rate of four per cent. for every completed year after the age of superannuation subject to the wage ceiling under the proviso to sub-paragraph (2) of paragraph 4;

- (ii) the member, at their option, may be allowed to continue contributions under paragraph 4 to the Pension Fund for the period for which the drawing of pension has been deferred, if the member is continuing in employment after the age of superannuation and the pensionable service and pensionable wages for the purpose of determining the pension under sub-paragraph (2) shall include such contributions, but not beyond the age of sixty years;
- (iii) where a member who has opted to defer the withdrawal of pension dues after attaining the age of superannuation and before the commencement of the deferred pension, the eligible family shall be entitled to pension under clause (c) of sub-paragraph (1) of paragraph 15 from the date of death of the member, as if the member's monthly pension had commenced on the date of death.

(10) Where a member ceases to be in the employment by way of retirement or otherwise before the age of superannuation, -

- (i) the member may, on option, either-
 - (a) be paid pension as admissible under this Scheme on attaining an age exceeding fifty years; or
 - (b) be issued a scheme certificate by the Commissioner indicating the pensionable service, the pensionable wages and the amount of pension due on the date of exit from the employment.

(11) Where such a member is subsequently employed in an establishment covered under this Scheme, the earlier service as recorded in the scheme certificate shall be reckoned together with the fresh spell of pensionable service.

(12) A member postponing the commencement of pension under this paragraph shall be entitled to such additional relief as may be sanctioned under this Scheme:

Provided that-

- (a) Where a member does not take up an employment covered under this Scheme and has rendered less than ten years of eligible service on the date of exit, but dies before attaining the age of superannuation and before a continuous period of thirty-six months has elapsed during which contributions have not been received in respect of the member in the Pension Fund, the amount of contributions received in this case shall be converted into a monthly widow pension or children's pension and the widow pension in such cases shall be calculated at the scale laid down in Table - III and the children's pension at twenty-five per cent. thereof for each child;

- (b) Where there is no widow, an orphan pension shall be payable at the rate of seventy-five per cent. of the amount which would have been payable as a widow pension, subject to the provisions of the paragraph 15;
- (c) Where the member does not take up an employment covered under this Scheme and has rendered less than ten years of eligible service on the date of exit, but dies before attaining the age of superannuation after a continuous period of thirty-six months has elapsed during which no contributions have been received in respect of the member in the Pension Fund, the eligible family shall be entitled to benefits under paragraph 13.

13. Benefits on leaving service before being eligible for pension. - (1) Where a member has not rendered the eligible service specified in sub-paragraph (1) of paragraph 12, on the date of exit, or on attaining the age of superannuation, whichever is earlier, such member shall be entitled to a withdrawal benefit as laid down in Table-IV or may opt to receive the scheme certificate, provided the member has not attained the age of superannuation:

Provided that for the purpose of calculating the withdrawal benefit, the wages at exit shall be the weighted average of wages at the end of every wage ceiling period:

Provided further that an existing member shall receive additional return of contributions for past service under the Employees' Family Pension Scheme, 1971, computed as withdrawal-cum-retirement benefits as per Table-I multiplied by the factor given in Table-II:

Provided also that in the case of exit from service before attaining the age of superannuation, the member shall become eligible to avail the withdrawal benefit only after the lapse of thirty-six months from the date on which the last contribution became due or on attaining the age of superannuation, whichever is earlier.

14. Benefits on permanent and total disablement. - (1) Where a member becomes permanently and totally disabled during the course of employment, such a member shall be entitled to pension as admissible under paragraph 12, subject to a minimum of two hundred and fifty rupees per month, notwithstanding the fact that the member has not rendered the pensionable service required under paragraph 12:

Provided that the member has made at least one month's contribution.

(2) The monthly pension payable under sub-paragraph (1) shall commence from the date immediately following the date of the permanent total disablement and shall continue for the lifetime of the member.

(3) A member claiming benefits under this paragraph shall undergo such a medical examination as may be specified by the Central Board, for the purpose of determining whether the member is permanently and totally unfit for the employment which the member was performing at the time of disablement.

15. **Benefits on death of member.** - (1) Pension to the eligible family shall be admissible from the date immediately following the date of death of the member, where the member dies-

(a) while in service;

Provided that at least one month's contribution has been paid into the Pension Fund; or

(b) after the date of exit but before attaining the age of superannuation, having rendered service entitling the member to a monthly pension but before the commencement of the pension payment; or

(c) after the commencement of payment of the monthly pension.

Explanation.— For the purpose of this sub-paragraph, where a member has rendered less than ten years of eligible service on the date of exit but has retained the membership of the Pension Fund and dies before attaining the age of superannuation, such cases shall be regulated under clause (a) of sub-paragraph (12) of paragraph 12.

(2) (a) The monthly widow pension shall be -

(i) in cases under clause (a) of sub-paragraph (1), equal to the monthly pension which would have been admissible if the member had retired on the date of death or four hundred and fifty rupees per month or the amount indicated in Table-III whichever is higher;

(ii) in cases under clause (b) of sub-paragraph (1), equal to the monthly pension which would have been admissible as if the member had retired on the date of exit or four hundred and fifty rupees per month or the amount indicated in Table-III whichever is higher;

(iii) in cases under clause (c) of sub-paragraph (1), equal to fifty per cent. of the monthly pension payable to the member on the date of his death subject to a minimum of four hundred and fifty rupees per month;

(iv) in cases where the amount of family pension sanctioned under the Family Pension Scheme, 1971 and payable under this Scheme is less than four hundred and fifty rupees per month, such pension shall be enhanced to four hundred and fifty rupees per month;

- (v) in cases, where the monthly widow pension including relief, if any, is less than one thousand rupees per month, such pension shall be enhanced to one thousand rupees per month.

- (b) The monthly widow pension shall be payable upto the date of death of the widow or her remarriage, whichever is earlier.

Explanation.— For the purpose of this sub-paragraph, where there are two or more widows, the pension shall be payable to the eldest surviving widow and upon her death, to the next surviving widow, if any, and the term "eldest" shall mean seniority with reference to the date of marriage.

- (3) The monthly children's pension-

- (a) any surviving child of the deceased member, falling within the definition of eligible family, shall be entitled to a monthly children's pension in addition to the widow or widower pension.
- (b) the monthly children's pension for each child shall be equal to twenty-five per cent. of the amount admissible to the widow under clause (a) of sub- paragraph (2):

Provided that the minimum monthly children's pension, including relief, if any, shall not be less than two hundred and fifty rupees per child.—

- (i) shall be payable until the child attains the age of twenty-five years;
- (ii) shall be admissible to a maximum of two children at a time, in order from eldest to youngest;
- (iii) where a deceased member leaves behind a son or daughter who is permanently and totally disabled, such a child shall be entitled to monthly children pension or orphan pension, as the case may be, irrespective of age and the number of children in the family, in addition to the pension under clause (ii).

(4)(a) Where deceased member is not survived by any widow, but is survived by children falling within the definition of eligible family and where the widow pension is not payable, the children shall be entitled to a monthly orphan pension equal to seventy-five percent of the monthly widow pension under clause (a) of sub-paragraph (2):

Provided that the minimum monthly orphan pension including relief, if any, shall not be less than seven hundred and fifty rupees per orphan;

- (b) an orphan pension shall be payable to each orphan until the beneficiary attains the age of twenty-five years:

Provided that the pension shall continue beyond twenty-five years, if the beneficiary is suffering from mental disorder or physical disability;

- (c) in the event of death or remarriage of the widow or widower after sanctioning of widow or widower pension, the children shall be entitled, in lieu of the children pension, to an orphan pension from the date following the date of such death or remarriage;
- (d) an orphan pension shall be admissible to a maximum of two orphans at a time, in order from the eldest to youngest.

(5) (a) A member who is unmarried or without a spouse or an eligible child may nominate a person to receive the benefits:

Provided that upon subsequently acquiring an eligible family, such nomination shall become void:

Provided further that on death of the member, the nominee shall be entitled to monthly pension equal to widow pension, as admissible under sub-clauses (i) and (ii) of clause (a) of sub- paragraph (2);

- (b) where a member dies leaving behind no spouse or eligible child and no nomination exists, the widow pension under sub-clauses (i) and (ii) of clause (a) of sub-paragraph (2) shall be payable to the dependent father or dependent mother, as the case may be and on the grant of pension to the father and upon his death, pension shall be extended to the surviving mother for life;
- (c) where the deceased member had not rendered pensionable service on the date of exit entitling the member to monthly pension under paragraph 12, but had opted to retain the membership under sub- paragraph (8) of paragraph 12, the nominee or dependent father or mother, as the case may be, shall be entitled to withdrawal benefit under paragraph 12.

16. **Guarantee of pensionary benefits.** - No pensionary benefits under this Scheme shall be denied to any member or beneficiary on account of non-compliance with the requirements by the employer under sub-paragraph (1) of paragraph 4:

Provided that nothing contained in this paragraph shall absolve the employer from the liabilities imposed under this Scheme.

17. **Payment of pension.** - (1) The claims, complete in all respects and submitted along with the requisite documents, shall be settled and benefit amount paid to the beneficiaries within twenty days from the date of its receipt by the Commissioner.

(2) Where there is any deficiency in the claim, the same shall be recorded in writing and communicated to the applicant within twenty days from the date of receipt of such an application.

(3) Where the Commissioner fails without sufficient cause to settle a claim complete in all respects within twenty days, the Commissioner shall be liable for the delay beyond the said period and interest at the rate of twelve per cent. per annum may be charged on the benefit amount, which may be deducted from the salary of the Commissioner.

18. **Duties of employer.** - (1) Every employer shall, within fifteen days of the application of this Scheme to the establishment, send to Commissioner a consolidated return as specified in the Employees' Provident Funds Scheme, 2026, containing the details of employees required or entitled to become members of the Pension Fund, including wages paid to such employee:

Provided that where no employee is required or entitled to become a member of the Pension Fund, the employer shall file a 'Nil' return.

(2) Every employer shall make available electronically under due authentication, all registers and books of accounts relating to details of employees and payments made to them, maintained under any other law for the time being in force, for verification by the Inspector-cum-Facilitator appointed under sub-section (1) of section 122 of the Code during inspection of the establishment.

(3) Notwithstanding anything contained in this paragraph, the Central Board may issue such directions to employers generally, as it may consider necessary or proper for the purpose of implementing this Scheme and it shall be the duty of every employer to comply with such directions.

(4) Every employer of an establishment shall maintain records and registers, electronically or otherwise, containing particulars with regard to persons employed, the muster roll, wages and such other details required under clause (a) of section 123 of the Code.

19. **Employer to furnish particulars of ownership.** - Every employer in relation to an establishment to which the Code and this Scheme applies or is applied shall furnish to the Commissioner, details of all the branches and departments, owners, occupiers, directors, partners, managers or any other person or persons who have the ultimate control over the affairs of such establishment.

20. **Investment of Pension Fund.** - (1) All moneys accruing to Pension Fund Account, other than the contributions of the Central Government, shall be invested in accordance with the provisions of paragraph 35 of the Employees' Provident Funds Scheme, 2026.

(2) The assets of the Pension Fund already invested in the Public Account of the Government of India shall remain so invested.

(3) The future contributions of the Central Government accruing to the Pension Fund from 1st April, 2026 onwards shall be invested in the Public Account of the Government of India and the Central Government shall pay interest at a rate not less than eight and one-half per cent.

21. **Disposal of Fund.** - (1) Subject to the provisions of the Code and of this Scheme, the Pension Fund shall not, except with the prior sanction of the Central Government, be expended for any purpose other than.—

- (i) the payments envisaged in this Scheme;
- (ii) continued payment of benefits sanctioned under the erstwhile Employees' Pension Scheme, 1995, prior to the date of notification of this Scheme or sanctioned thereafter in respect of cases arising before 1st April, 2026; and
- (iii) continued payment of family pension, life assurance benefit and retirement-cum-withdrawal benefits sanctioned under the Employees' Family Pension Scheme, 1971, prior to 16th November, 1995 or sanctioned thereafter in respect of cases arising before that date.

(2) All administrative expenses shall be met from the Central Administration Account as specified in paragraph 32 of the Employees' Provident Funds Scheme, 2026:

Provided that the cost of remittance of pension shall be charged to the Pension Fund.

22. **Maintenance of accounts.** -The Central Board shall maintain, in respect of this Scheme, a consolidated income and expenditure account and a consolidated balance sheet, in the common format of annual accounts approved by the Central Government.

23. **Audit.** -The accounts of the Pension Fund, including the administrative expenses incurred in the operation of this Scheme, shall be audited in accordance with the instructions issued by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

24. **Rounding up of benefits.** - All items of benefits shall be calculated to the nearest rupee, with fifty paise or more to be counted as the next higher rupee and any fraction of a rupee less than fifty paise being ignored.

25. **Valuation of Pension Fund.** - (1) The Central Government shall have an annual valuation of the Pension Fund made by a valuer appointed by it.

(2) At any time, when the Pension Fund so permits, the Central Government may –

- (i) alter the rate of contributions payable under this Scheme;
- (ii) the scale of any benefit admissible under this Scheme; or
- (iii) the period for which such benefit may be given.

26. **Disbursement of pension and other benefits.** - (1) The Commissioner shall, with the approval of the Central Board, enter into arrangements for the disbursement of pension and other benefits under this Scheme with disbursing agencies, including but not limited to the Post Office or nationalised banks or treasuries or scheduled banks including Regional Rural Banks or Co-operative Banks *through electronic or digital funds transfer system.*

(2) The Commission payable to the disbursing agencies and other charges incidental thereto shall be met in accordance with paragraph 21 of this Scheme.

27. **Registers, records, etc.** - The Commissioner shall, with the approval of the Central Board, specify.—
- (i) the registers and records to be maintained in respect of the employees;
 - (ii) the form or design of any identity card, token or disc for the purpose of identifying any employee or nominee or a member of a family entitled to receive the pension; and
 - (iii) such other forms or formalities as may be required in connection with the grant or continuance of pension and other benefits, subject to such periodical verification as may be considered necessary.
28. **Annual report.** - The Central Board shall cause to be included in the Annual Report, the working of the Employees' Provident Fund Scheme, 2026, a report on the working of this Scheme during the previous financial year.
29. **Application of Employees' Provident Funds Scheme, 2026.** - In respect of matters for which there are no provisions in this Scheme, the corresponding provisions of the Employees' Provident Funds Scheme, 2026, shall apply.
30. **Exemption from operation of Scheme.** - (1) The appropriate Government may grant exemption to any establishment or class of establishments from the operation of this Scheme under section 143 of the Code, if the employees of the establishments-
- (i) are members of any other pension scheme;
 - (ii) are proposed to be members of a pension scheme providing pensionary benefits at par with or more favourable than, the benefits provided under this Scheme.
- (2) Where exemption is granted under sub-paragraph (1), the withdrawal benefits standing to the credit of the employees of such establishment under the Family Pension Scheme, 1971 or Employees' Pension Scheme 1995, shall, subject to the consent of the employees, be transferred to the pension fund of the establishment.
- (3) An application for exemption under this paragraph shall be presented to the Regional Provident Fund Commissioner having jurisdiction, together with a copy of the pension scheme of the establishment and other relevant documents, as may be called for.
- (4) The Regional Provident Fund Commissioner shall scrutinise the application, obtain the recommendations of the Central Provident Fund Commissioner and submit to the appropriate Government for decision.
- (5) Pending disposal of an application for exemption under this paragraph, the share of employer shall not be remitted to the Pension Fund as specified in sub-paragraph (1) of paragraph 4.
- (6) An application for exemption shall be disposed of within a period of six months from the date of its receipt or with such further time as may be extended for reasons to be recorded in writing.

(7) Where the application for exemption is not disposed of within the period so specified, the exemption applied for shall be deemed to have been granted.

Explanation. - For the purpose of this paragraph, the period of six months shall be reckoned from the date on which the application for exemption is given in complete form to the satisfaction of the Regional Provident Fund Commissioner.

31. **Submission of return.** - The employer of the exempted establishment or class of establishments and the board of trustees of such exempted establishment or class of establishments, shall submit to the Commissioner a monthly return in the Form appended to this Scheme.

32. **Transfer value.**— (1) Where exemption is granted to any establishment or where a member is transferred from pension fund of one exempted establishment to another pension fund of exempted establishment or statutory pension fund or *vice-versa*, a transfer value payment shall be made consisting of -

- (i) withdrawal benefit relating to past service period up to 15th November, 1995, as per Table-I multiplied by the factors specified in Table-II for the period between 16th November, 1995 to the date of exemption or transfer, as the case may be; and
- (ii) transfer value for pensionable service as per Table-V, for the service rendered from 16th November, 1995 or from the date of joining the establishment, upto the date of exemption or transfer as the case may be.

(2) In the event of cancellation of exemption granted under paragraph 30, transfer of Fund shall be made in accordance with the conditions specified in the exemption notification.

33. **Information to Central Government.** -The Central Board shall furnish to the Central Government, from time to time, information in respect of the income and expenditure from the Pension Fund Account, directed by the Central Government.

34. **Interpretation.** - Where any doubt arises with regard to the interpretation of the provisions of this Scheme, it shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

35. **Payment of pension in case of person charged with murder.** - (1) Where a person, who in the event of the death of a member of the Pension Fund is eligible to receive pension under paragraph 12 or paragraph 15, is charged with the offence of murdering the member or abetting the commission of such an offence, the claims to receive pension shall remain suspended until the conclusion of the criminal proceedings instituted against the person for such offence.

(2) Upon conclusion of the criminal proceedings referred to in sub-paragraph (1),—

- (i) if the person concerned is convicted for the murdering or abetting in the murder of the member, the person shall be debarred from receiving pension, which shall be payable to other eligible members of the family of the deceased member; or
- (ii) if the person is acquitted of the charge of murdering or abetting the murder of the member, pension benefit shall be payable to the person.

36. Special provisions in respect of International Workers. – Notwithstanding anything contained in this Scheme, the following provisions shall be applicable to International worker, namely:-

(1) The eligible service shall be determined as follows, namely:-

- (i) in the case of “existing member” or the “member other than an existing member”, the “actual service” shall be treated as eligible service;
- (ii) in the case of the member covered by a social security agreement, the period of coverage under relevant social security programme in another country shall be added to actual service and the aggregate thereof shall be treated as eligible service as may be provided in the social security agreement.

(2) The pensionable wages shall be the average monthly wages drawn whether on time-rate or on piece-rate basis during the contributory period of service of the membership of the Pension Fund.

(3) An International Worker covered under a social security agreement entered into between India and another country who has not rendered the eligible service prescribed in paragraph 9 on the date of exit, or on attaining the age of superannuation, whichever is earlier, shall be entitled to a totalisation benefit as provided in the said social security agreement:

Provided that if the International Worker covered under the provisions of the said agreement has not rendered the eligible service even after including the totalisation benefit as provided in the said agreement, then such International Worker shall be entitled to a withdrawal benefit as specified in Table-IV:

Provided further that in case of exit from service before attaining the age of superannuation, the International Worker shall become eligible to avail withdrawal benefit only after the lapse of thirty-six months from the date on which the last contribution became due, or on attaining the age of superannuation, whichever is earlier.

(4) (i) The Commissioner shall, with the approval of the Central Board, enter into arrangement for the disbursement of pension and other benefits under this Scheme with disbursing agencies, including but not limited to Post Office or nationalised banks or treasuries or scheduled banks including Regional Rural Banks or Co-operative Banks *through electronic or digital funds transfer system;*

(ii) the Commission payable to the disbursing agencies and other charges incidental thereto shall be met in accordance with paragraph 21 of this Scheme:

Provided that if the beneficiary under this Scheme is covered under a social security agreement between India and another country, the pension and other benefits under the Scheme shall be disbursed as per the terms and conditions specified in the said agreement.

(5) The Commissioner shall perform all such functions as are assigned to the Employees' Provident Fund Organisation under a social security agreement entered into between the Government of India and any other country as per the terms and conditions specified therein.

TABLE - I
[See paragraph 13(1) and 32(1)(i)]
(WITHDRAWAL BENEFIT)

No. of full years' contribution paid	Proportion of wage payable at cessation of membership
(1)	(2)
1	0.2
2	0.41
3	0.62
4	0.84
5	1.06
6	1.29
7	1.51
8	1.75
9	1.98
10	2.23
11	2.47
12	2.72
13	2.98
14	3.24
15	3.51

16	3.78
17	4.05
18	4.34
19	4.62
20	4.92
21	5.21
22	5.52
23	5.83
24	6.14
25	6.46
26	6.79
27	7.12
28	7.46
29	7.81
30	8.16
31	8.52
32	8.89
33	9.26
34	9.64
35	10.03
36	10.43
37	10.83
38	11.24
39	11.66
40	12.08

TABLE - II

[See paragraphs 12(3), 13(1), 32(1)(i)]

(FACTOR FOR COMPUTATION OF PAST SERVICE BENEFIT UNDER THE CEASED FAMILY PENSION SCHEME FOR EXISTING MEMBERS ON EXIT FROM THE EMPLOYMENT)

(1)	(2)
YEARS	FACTOR
Less than 1	1.039
Less than 2	1.122
Less than 3	1.212
Less than 4	1.309
Less than 5	1.413
Less than 6	1.526
Less than 7	1.649
Less than 8	1.781
Less than 9	1.923
Less than 10	2.077
Less than 11	2.243
Less than 12	2.423
Less than 13	2.616
Less than 14	2.826
Less than 15	3.052
Less than 16	3.296
Less than 17	3.560
Less than 18	3.845
Less than 19	4.152
Less than 20	4.485
Less than 21	4.843
Less than 22	5.231
Less than 23	5.649
Less than 24	6.101
Less than 25	6.589
Less than 26	7.117
Less than 27	7.686
Less than 28	8.301
Less than 29	8.965

Less than 30	9.682
Less than 31	10.487
Less than 32	11.294
Less than 33	12.197
Less than 34	13.173
Less than 35	14.2271
Less than 36	15.36555
Less than 37	16.59509
Less than 38	17.92303
Less than 39	19.35722
Less than 40	20.90618
Less than 41	22.57909
Less than 42	24.38586]

TABLE - III

[See paragraphs 15(2)(a)(i) and 15(2)(a)(ii)]
(EQUIVALENT WIDOW PENSION)

Wages at day of death not more than (1) (Rupees)	Equivalent widow pension (2) (Rupees)
Upto 300	250
350	327
400	343
450	359
500	375
550	391
600	408
650	425
700	442

750	459
800	476
850	493
900	510
950	527
1000	544
1050	561
1100	578
1150	595
1200	612
1250	629
1300	646
1350	664
1400	682
1450	700
1500	718
1550	736
1600	754
1650	772
1700	797
1750	808
1800	826
1850	844
1900	862
1950	880
2000	898
2050	916
2100	935
2150	954

2200	973
2250	992
2300	1011
2350	1030
2400	1049
2450	1068
2500	1087
2550	1106
2600	1125
2650	1144
2700	1163
2750	1182
2800	1201
2850	1221
2900	1241
2950	1261
3000	1281
3050	1301
3100	1321
3150	1341
3200	1361
3250	1381
3300	1401
3350	1421
3400	1441
3450	1461
3500	1481
3550	1501
3600	1521

3650	1541
3700	1561
3750	1581
3800	1601
3850	1621
3900	1641
3950	1661
4000	1681
4050	1701
4100	1721
4150	1741
4200	1751
4250	1761
4300	1771
4350	1781
4400	1791
4450	1801
4500	1811
4550	1821
4600	1831
4650	1841
4700	1851
4750	1861
4800	1871
4850	1881
4900	1891
4950	1896
5000	1901
5050	1906

5100	1911
5150	1916
5200	1921
5250	1926
5300	1931
5350	1936
5400	1941
5450	1946
5500	1951
5550	1956
5600	1961
5650	1966
5700	1971
5750	1976
5800	1981
5850	1986
5900	1991
5950	1996
6000	2001
6050	2006
6100	2011
6150	2016
6200	2021
6250	2026
6300	2031
6350	2036
6400	2041
6450	2046
6500	2051.]

[6,550	2,056
6,600	2,061
6,650	2,066
6,700	2,071
6,750	2,076
6,800	2,081
6,850	2,086
6,900	2,091
6,950	2,096
7,000	2,101
7,050	2,106
7,100	2,111
7,150	2,116
7,200	2,121
7,250	2,126
7,300	2,131
7,350	2,136
7,400	2,141
7,450	2,146
7,500	2,151
7,550	2,156
7,600	2,161
7,650	2,166
7,700	2,171
7,750	2,176
7,800	2,181
7850	2,186
7,900	2,191
7,950	2,196

8,000	2,201
8,050	2,206
8,100	2,211
8,150	2,216
8,200	2,221
8,250	2,226
8,300	2,231
8,350	2,236
8,400	2,241
8,450	2,246
8,500	2,251
8,550	2,256
8,600	2,261
8,650	2,266
8,700	2,271
8,750	2,276
8,800	2,281
8,850	2,286
8,900	2,291
8,950	2,296
9,000	2,301
9,050	2,306
9,100	2,311
9,150	2,316
9,200	2,321
9,250	2,326
9,300	2,331
9,350	2,336
9,400	2,341

9,450	2,346
9,500	2,351
9,550	2,356
9,600	2,361
9,650	2,366
9,700	2,371
9,750	2,376
9,800	2,381
9,850	2,386
9,900	2,391
9,950	2,396
10,000	2,401
10,050	2,406
10,100	2,411
10,150	2,416
10,200	2,421
10,250	2,426
10,300	2,431
10,350	2,436
10,400	2,441
10,450	2,446
10,500	2,451
10,550	2,456
10,600	2,461
10,65b	2,466
10,700	2,471
10,750	2,476
10,800	2,481
10,850	2,486

10,900	2,491
10,950	2,496
11,000	2,501
11,050	2,506
11,100	2,511
11,150	2,516
11,200	2,521
11,250	2,526
11,300	2,531
11,350	2,536
11,400	2,541
11,450	2,546
11,500	2,551
11,550	2,556
11,600	2,561
11,650	2,566
11,700	2,571
11,750	2,576
11,800	2,581
11,850	2,586
11,900	2,591
11,950	2,596
12,000	2,601
12,050	2,606
12,100	2,611
12,150	2,616
12,200	2,621
12,250	2,626
12,300	2,631

12,350	2,636
12,400	2,641
12,450	2,646
12,500	2,651
12,550	2,656
12,600	2,661
12,650	2,666
12,700	2,671
12,750	2,676
12,800	2,681
12,850	2,686
12,900	2,691
12,950	2,696
13,000	2,701
13,050	2,706
13,100	2,711
13,150	2,716
13,200	2,721
13,250	2,726
13,300	2,731
13,350	2,736
13,400	2,741
13,450	2,746
13,500	2,751
13,550	2,756
13,600	2,761
13,650	2,766
13,700	2,771
13,750	2,776

13,800	2,781
13,850	2,786
13,900	2,791
13,950	2,796
14,000	2,801
14,050	2,806
14,100	2,811
14,150	2,816
14,200	2,821
14,250	2,826
14,300	2,831
14,350	2,836
14,400	2,841
14,450	2,846
14,500	2,851
14,550	2,856
14,600	2,861
14,650	2,866
14,700	2,871
14,750	2,876
14,800	2,881
14,850	2,886
14,900	2,891
14,950	2,896
15,000 or more	2,901.]

TABLE - IV

[See paragraphs 13(1) and 36(3)]

Return of contribution on exit from the employment

Months of Service	Proportion of wages at exit
1	0.08
2	0.17
3	0.25
4	0.33
5	0.42
6	0.51
7	0.60
8	0.68
9	0.77
10	0.85
11	0.94
12	1.02
13	1.10
14	1.18
15	1.26
16	1.34
17	1.42
18	1.51
19	1.59
20	1.67
21	1.75
22	1.83
23	1.91
24	1.99

25	2.07
26	2.16
27	2.24
28	2.32
29	2.40
30	2.49
31	2.57
32	2.65
33	2.73
34	2.82
35	2.90
36	2.98
37	3.06
38	3.15
39	3.23
40	3.32
41	3.40
42	3.49
43	3.57
44	3.65
45	3.74
46	3.82
47	3.91
48	3.99
49	4.08
50	4.16
51	4.25
52	4.33

53	4.42
54	4.51
55	4.59
56	4.68
57	4.76
58	4.85
59	4.93
60	5.02
61	5.11
62	5.20
63	5.28
64	5.37
65	5.46
66	5.55
67	5.63
68	5.72
69	5.81
70	5.90
71	5.98
72	6.07
73	6.16
74	6.25
75	6.34
76	6.42
77	6.51
78	6.60
79	6.69
80	6.78
81	6.87

82	6.95
83	7.04
84	7.13
85	7.22
86	7.31
87	7.40
88	7.49
89	7.58
90	7.68
91	7.77
92	7.86
93	7.95
94	8.04
95	8.13
96	8.22
97	8.31
98	8.41
99	8.50
100	8.59
101	8.68
102	8.78
103	8.87
104	8.96
105	9.05
106	9.15
107	9.24
108	9.33
109	9.33
110	9.33

111	9.33
112	9.33
113	9.33.]

TABLE - V

[See paragraph 32(1)(ii)]

(TRANSFER OF CONTRIBUTION FROM EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 2026 TO EXEMPTED OR OTHER PENSION FUND AND VICE –VERSA)

Number of full year's contribution period	Proportion of wage payable on last contribution month
1	0.987
2	1.998
3	3.033
4	4.093
5	5.178
6	6.289
7	7.426
8	8.590
9	9.782
10	11.003
11	12.252
12	13.531
13	14.841
14	16.182
15	17.554
16	18.960
17	20.399
18	21.872
19	23.380

20	24.924
21	26.505
22	28.123
23	29.780
24	31.477

FORM

[See paragraph 31]

(Monthly Return to be submitted by the exempted establishments/class of establishments/board of trustees.)

1. DETAILS OF ESTABLISHMENT :		
(a)	Name of the establishment with full address	
(b)	Code No. allotted by the Employees' Provident Fund Organization	
2. DETAILS OF EMPLOYEES (INCLUDE ALL BRANCHES/UNITS ETC.)		
(a)	No. of employees as at the end of previous month	
(b)	No. of employees who joined during the month	
(c)	No. of employees who left service during the month	
(d)	No. of employees as at the end of the month [(a) + (b) – (c)]	
(e)	Out of (d) above, No. of excluded employees	
(f)	No. of Pension Fund members as at the end of the month [Please furnish the above-mentioned details unit wise situated as different places. Attach separate sheet, if necessary]	

3. CONSTITUTION OF BOARD OF TRUSTEES				
(a)	Date on which the present Board was Constituted	DD	MM	YYYY
(b)	Its term			YEARS
(c)	Total number of Trustees			
	(i)	Employees' Representatives		
	(ii)	Employer's Representatives		
4. WAGES, CONTRIBUTIONS, ETC.				
(a)	Amount of gross wages liable to Pension Contribution	Rs.		
(b)	Rate of contribution to Pension Fund		%	
(c)	Amount of Pension contribution to be transferred for the current month	Rs.		
(d)	Amount of arrears due, if any, for transfer to the Board of Trustees at the end of the previous month	Rs.		
(e)	Total of (c) & (d)	Rs.		
(f)	Amount actually transferred to the Board of Trustees	Rs.		
(g)	Balance due, if any, for transfer to the Board of Trustees [(e) – (f)]	Rs.		
(h)	Whether the interest payable under section 127 of the code for the belated transfer of Funds, if any, has been paid?	YES	NO	
(i)	Amount of interest still payable at the end of the month	Rs.		
5. DETAILS OF PENSIONERS				
(a)	No. of Pensioners at the end of the month			
	(i)	Member (Self) Pensioners		
		- Superannuation Pension		
		- Early Pension		
		- Disablement Pension		
	(ii)	Spouse Pensioners		
		- Death in service		
		- Death away from service		
		- Death as pensioners		
	(iii)	Children Pensioners		

		- Normal Children	
		- Disabled Children (Life-long pension)	
	(iv)	Orphan Pensioner	
	(v)	Nominee Pensioner	
	(vi)	Dependent Parents Pensioner	
(b)	Total amount of Pension paid during the month		Rs.
6. DETAILS OF EXIT CASES			
(a)	No. of Persons who have taken Withdrawal benefit during the month		
(b)	Amount paid during the month		Rs.
	No. of exit cases where Scheme certificate has been issued.		
7. DETAILS OF INVESTMENT			
(a)	Amount lying invested in the Pension Fund in the beginning of the month		Rs.
(b)	Amount received during the month		
	(i)	By way of contribution from the employer	
		Current month	Rs.
		Arrears, if any	Rs.
	(ii)	Encashment of matured securities/deposits	
		Interest/dividend on investments	Rs.
	(iv)	Other transfer-in-cases	
	(v)	Damages, if any	
	(vi)	Interest on belated payments, if any	
		(vii)	Miscellaneous, if any (Please specify)
(c)	Payments made during the month		Rs.
(d)	Amount invested during the month		Rs.
Securities			
	- Central Government		Rs.
	- State Governments		Rs.

	- Others, if any	Rs.
	Deposits	
	- Public Financial Institutions/Banks	Rs.
(e)	Whether pattern of investment followed?	YES NO
(f)	If so, classify the percentage	
	(i) Securities	
	- Central Government	%
	- State Government	%
	- Others	%
	(ii) Deposits	
	- Public Financial Institutions/Banks	%
	(iii) Annuity purchased from Life Insurance Corporation	Rs.
(g)	Amount lying un-invested in Cash/Bank	Rs.
8.	MODE OF DISBURSEMENT [Tick one]	
	- Through Bank	
	- Through Post Offices	
	- Through LIC by purchase of Annuity	
	- Others, if any, (Please specify)	
9. RULES OF ESTABLISHMENT'S PENSION FUND		
	Details of amendment, if any carried out during the month to make the Rules at par with the Statutory Pension Scheme (Employees' Pension Scheme, 2026)	

Date

**Signature with official seal of the
Employer/Trustees of the Board**

[F.No. S-35025/25/2026-SS-II]

TEJASWI S. NAIK, Jt. Secy.